सर्व शिक्षा अभियान

कार्ययोजना-2002-2010

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना, जिला-जालोर

☎ 02973 - 225513, 225514

" सर्व शिक्षा अभियान "

जिला जालोर

कार्ययोजना — 2002.2010

अध्याय	—	1	जिला परिदृश्य
अध्याय	—	2	जिले का शैक्षणिक परिदृश्य
अध्याय	—	3	योजना प्रक्रिया
अध्याय	—	4	सर्व शिक्षा अभियान— लक्ष्य एवं उद्देश्य
अध्याय	—	5	पहुँच एवं ठहराव
अध्याय	—	6	गुणवत्ता
अध्याय	—	7	विशिष्ट फोकस समूह एवं नवाचार
अध्याय	—	8	अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन
अध्याय	—	9	प्रबंधन एवं क्षमता विकास
अध्याय	—	10	निर्माण कार्य
अध्याय	—	11	योजना लागत
अध्याय	—	12	योजना क्रियान्वयन
अध्याय	—	13	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2003—04

अध्याय – 1

जिला – जालोर

1.1 जिले का इतिहास

विश्व में ग्रेनाईट नगरी के नाम से विख्यात नगर जालोर एवं स्वर्णगिरी एवं सुगंधाद्रि पर्वत की उतप्यका में अवस्थित जालोर जिला अतित का एक गौरवशाली क्षेत्र रहा है। वर्तमान में जालोर जिला नाम से ज्ञात भू–भाग पूर्व जोधपुर रियासत (मारवाड़) का एक महत्वपूर्ण भाग था। प्रशासनिक दृष्टि से यह तीन परगनों, हुकूमतों–जालोर,जसवन्तपुरा व सांचौर में विभक्त था। सन् 1949 में जोधपुर रियासत का वृहत्तर राजस्थान के संयुक्त राज्य में विलय होने पर एक पृथक जिला बनाया गया।

प्रथम मत के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि जावालि की तपो भूमि होने के कारण उनके नाम पर ही जाबालीपुर नाम से विख्यात अति प्राचीन नगर था। जो स्वर्णगिरि एवं कंचनगिरि के नाम से भी पुराणों में विख्यात है। जो कालान्तर में बिगड़कर जालोर हो गया। द्वितीय मत के अनुसार नाथ सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध गुरू गोरखनाथ के शिष्य जालन्धर नाथ की तपोस्थलि होने के कारण मध्यकाल में यह जालन्धर के नाम भी प्रसिद्ध हुआ। तृतीय मतानुसार जिला सांख्यिकी कार्यालय, जालोर द्वारा 1967 में प्रकाशित सांख्यिकी रूपरेखा लोक मानस में इस शब्द की उत्पति जाल एवं लोर दो शब्दों से बताई गई है। जाल नाम की वनस्पति बहुतायत में पायी जाती है। संभवतः इसी जाल में लोर (सीमा) शब्द मिलकर जालोर बना।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आंठवी सताब्दी में समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध जालोर पर परिहार, परमार, चालुक्य और चौहान राजाओं का शासन रहा। 1180 ई. में चौहान राजा कीर्तिपाल ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। वे महान योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। एक शताब्दी तक चौहानों का शासन रहा। चौहान राजाओं में उदयसिंह का युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ।

जालोर की भूमि वीरता, शौर्य एवं बलिदान की भूमि रही है। यहां मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहूति देने वाले स्वाभिमानी वीरमदेव ने जन्म लिया था। यहां के राजा कान्हड़देव एवं वीरमदेव के काल में निर्मित जालोर का दुर्गम किला अपने खण्डहरों के माध्यम से अल्लाउद्दीन खिलजी के भयंकर आक्रमणों से जूझने की कहानी सुनाकर यहां के वीरता पूर्ण इतिहास का सतत् स्मरण करवा रहा है। यहीं के शासक समरसिंह द्वारा सोमनाथ मन्दिर की रक्षार्थ किये गये प्रयास इतिहास की गौरवशाली सामग्री में समाहित है।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा गुजरात का प्रवेश द्वार होने के कारण इस पर लगातार आक्रमण होते रहे, जिससे यह क्षेत्र कभी दिल्ली के सुल्तान तुगलक (1320–24) व गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा (1458–1500) के अधीन रहा। सन् 1540 में यह जोधपुर शासकों के अधिकार में रहा। अकबर के समय व उसके बाद जहांगीर और औरंगजेब का यहां शासन रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ई. से यह भू–भाग पुनः जोधपुर राज्य का हिस्सा बना। 18 वीं शताब्दी के अन्त से लेकर 19 वीं शताब्दी के मध्य तक यह भक्त, कवि, गुणी राजा के रूप में ख्याति प्राप्त राजा मानसिंह के अधीन रहा जिन्होंने अपनी विपत्तियों के दिन जालोर दुर्ग की शरण में काटे थे।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा जालोर के दुर्ग को स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए कारागृह के रूप में अपनाया गया। श्री जयनारायण व्यास, श्री मथुरादास माथुर, श्री गणेशलाल व्यास, श्री फतहराज जोशी एवं श्री तुलसी राठी आदि अनेक स्वतंत्रता सैनानियों ने यहीं बन्दी गृह में रहकर स्वतंत्रता का बिगुल बजाया।

जाबालि ऋषि और नवनाथों में प्रसिद्ध जालन्धरनाथ की तपोभूमि जालोर को यदि मरूधरा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। यहां पर रामसीन में श्री राम ने वनगमन के दौरान रात्रि विश्राम किया। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर इसी जिले के भाद्राजून में विवाह रचाया। पाण्डव पुत्रों ने अपने अज्ञातवास का समय काटा तथा नारद, वशिष्ठ, गौतम मार्कण्ड तथा सहयोगी सन्त श्री जलन्धरनाथ ने इस क्षेत्र में तपस्या की।

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु

"राई रा भाव राते वीता" कहावत की उत्पति स्थल जालोर जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम में 24.37 डिग्री से उतरी अक्षांश में 25.49 डिग्री तक एवं उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशान्तर में 71.11 डिग्री से 73.05 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक 144 किमी. एवं पूर्व से पश्चिम तक 232 किमी. विस्तीर्ण जालोर जिला मानचित्र पर एक ऐसी मछली सा प्रतिभासित होता है जिसकी पूंछ से कच्छ का सुदीर्घ रन संस्पर्शित हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं जैसे कोई मछली समुद्र तट पर जल में अपना मुंह डाले आराम से रेत में पसरी हुई धूप स्नान कर रही है।

इस जिले का कुल क्षेत्रफल 10,564.44 वर्ग किमी. है। इस प्रकार यह जिला राजस्थान प्रान्त का 3.11 प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रान्त में जालोर जिले का तेरहवां स्थान है।

इसके उत्तर पश्चिम में बाडमेर, उत्तर–पूर्व में पाली, दक्षिण–पूर्व में सिरोही जिले से एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के बनास कांठा जिले से जालोर जिले की सीमाएं संस्पर्श करती है। सांचौर तहसील की सीमा कुछ दूरी तक पाकिस्तान की सीमा को भी छूती है।

जालोर जिला शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाला जिला हैं। जहां वर्षा कम तथा अनिश्चित प्रकार से होती है। जिले की वार्षिक औसत वर्षा 42.16 सेमी. है। 94 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर माह के बीच में दक्षिणी–पश्चिमी मानसून से होती है। सर्दी के दिनों में जहां तेज सर्दी पड़ती है, वहीं गर्मीयों के दिनों भीषण गर्मी पड़ती है। मई–जून में तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेण्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। जिला जालोर पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्तवपूर्ण नदी लूणी और उसकी सहायक नदियां के प्रवाह तंत्र के अन्तर्गत आता है। यद्यपि कोई भी नदी वर्ष भर बहने वाली नहीं है। लूणी की प्रमुख सहायक नदियां जवाई, सूकड़ी, खारी, बांडी व सांगी है। ये सभी नदियां बरसाती है।

1.4 आर्थिक स्थिति

1.4.1 कृषि

जिले का भौगोलिक क्षेत्र 1056602 हैक्टर है। जिसमें से 18927 हैक्टर में वन क्षेत्र है। जिले की भौगोलिक स्थिति एवं समय पर वर्षा न होने के कारण वनस्पति अधिक समृद्ध नहीं है। जिले में मुख्यतया रबी एवं खरीफ दो फसलें होती है। जिनमें बाजरा, गेहूं, मूंग, मौठ, चना, मिर्च, जीरा, रायड़ा, अरण्डी, तिल, इसबगोल ग्वार तथा टमाटर मुख्य रूप से उत्पादित होते है। भारत का 40 प्रतिशत इसबगोल जालोर जिले में ही पैदा होता है।

1.4.2 उद्योग

जिले में लघु एवं कुटीर उद्योगों में खेसला निर्माण, दरी–पट्टियां, चमड़े की जूती निर्माण, मिट्टी के बर्तन, एवं ग्रेनाईट आर्टिकल्स का कार्य किया जाता है। जिसमें ग्रेनाईट का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिले में ग्रेनाईट की कई इकाईयां कार्यरत है। जिनमें निर्मित ग्रेनाईट टाईल्स का विश्व स्तर पर निर्यात किया जाता है।

1.5 परिवहन व संचार

जिले के सभी महत्तवपूर्ण स्थान सड़कों से जुड़े हुए है एवं जिले में रेल्वे लाईन का प्रवेश सन् 1929 को हुआ। जब समदड़ी–मोकलसर रेल मार्ग खोला गया। इस रेल मार्ग को धीरे–धीरे भीलड़ी तक बढा दिया गया। वर्तमान में अहमदाबाद तक रेल मार्ग उपलब्ध है।

1.6 दर्शनीय स्थल

1.6.1 जालोर दुर्ग

राज्य के प्रमुख दुर्गों में अपना नाम अंकित करवाने जालोर दुर्ग का प्रथम बार निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने करवाया, लेकिन कई विद्ववान इसे परमारों द्वारा बनवाया गया बताते है। वस्तुतः परमारों के काल में इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था।

यह दुर्ग जालोर शहर के दक्षिण की ओर स्थित स्वर्णगिरी पर्वत पर लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की चढाई लगभग 3 मील की हैं, जबकि दुर्ग की लम्बाई आधा किलोमीटर है। दुर्ग पर देखने लायक मानसिंह व वीरमदेव के महल, पार्श्वनाथजी का मन्दिर, चौमुखा जैन मन्दिर, वीरमदेव की चौकी, मुस्लिम संत मल्लिकशाह की दरगाह, नक्कार खाना, दो बावड़ियां, एक प्राचीन शिव मन्दिर, मॉ चामुण्डा का मन्दिर तथा परमार कालीन क़ीर्ति स्तम्भ आदि प्रमुख है।

1.6.2 सुन्धा मन्दिर

अरावली पर्वत श्रृंखला में 1220 मीटर की ऊँचाई के सुन्धा पर्वत पर चामुण्डा देवी का विख्यात मन्दिर जालोर जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है।

1.6.3 भीनमाल का वराह मन्दिर

भीनमाल स्थित वराहश्याम का मन्दिर भारत के प्राचीन व गिने–चुने वराहश्याम मन्दिरों में एक है। यहां स्थापित नर वराह की मूर्ति जैसलमेर के पीले प्रस्तर से निर्मित हैं जो सात फीट ऊँची तथा अढ़ाई फीट चौडी है।

1.6.3 आशापुरी मन्दिर (मोदरा)

समदड़ी–भीलडी रेल मार्ग पर महोदरी माता का अति प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। मार्कण्डेय पुराण के दुर्गा सप्तदशी नामक भाग में भगवती दुर्गा की महोदरी अर्थात बड़े पेट वाली नाम वर्णित है। यहां स्थापित मूर्ति लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है।

1.6.4 सिरे मन्दिर

जालोर दुर्ग की निकटवर्ती पहाड़ियों में स्थित सिरे मन्दिर नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालन्धरनाथ की तपोभूमि है। वर्तमान मन्दिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के तत्कालीन शासक राजा मानसिंह ने करवाया था अपनी विपत्ति के दिनों में उन्होंने यहां शरण प्राप्त की थी। यहां रत्नेश्वर महादेव, झालरा,

जलकूप, भंवर गुफा, ताला, भव्य हस्ति प्रतिमा, मन्दिर का अभेद्य परकोट, जनाना व मर्दाना महल, भुल–भूलैया, चन्दर कूप आदि बड़े दर्शनीय एवं आकर्षक स्थल है।

1.6.5 सेवाड़ा मन्दिर

रानीवाड़ा–सांचौर मार्ग पर अत्यन्त प्राचीन शिव मन्दिर आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है। तेरहवीं शताब्दी में कराये गये जीर्णोद्धार का शिलालेख मन्दिर में आज भी उपलब्ध है। मन्दिर के चारों ओर कलात्मक खुदाई वाले प्रस्तर खण्ड बिखरे हुए है।

1.6.6 जागनाथ मन्दिर

अरावली पवर्तमालाओं में बना यह आश्रम चारों ओर रेत के टीलों से घिरा हुआ है, जो कि वर्ष भर बहने वाले झरने के लगभग चरणों में स्थित है। यह झरना मन्दिर के कुछ ही आगे चलकर बालू रेत में विलिन हो जाता है। यहां स्थित शिवलिंग इतना प्राचीन हैं कि इसे श्वेत स्फटिक प्रस्तर पट्टिकाओं से ढक दिया जाता हैं ताकि जलायत से लिंग को बचाया जा सकें।

1.6.7 आपेश्वर महादेव

तेरहवीं शताब्दी में बना भगवान अपराजितेश्वर शिव मन्दिर आज आपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने बनवास काल में यहां रात्रि विश्राम किया था। इस कारण इस स्थान का नाम राम शयन पड़ा जो कालान्तर में अपभ्रंश रूप में रामसीन हो गया। यहां स्थापित शिव प्रतिमा पांच फीट ऊँची हैं और श्वेत स्फटिक से निर्मित है। आदिदेव भगवान–भोलेनाथ समाधिस्थ मुद्रा में विराजित है।

1.6.8 माण्डोली का गुरू मन्दिर

गुरूवर शान्ति सूरिश्वर का यह मन्दिर देश भर के जैन मतावलम्बियों के लिए अत्यन्त श्रद्धा एवम् विश्वास का केन्द्र है। संम्पूर्ण रूप से श्वेत स्फटिक से निर्मित यह विशाल, भव्य एवम् आकर्षण गुरू मन्दिर जालोर जिले की अनुपम धरोहर है। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहां गुरूवर के दर्शनों के लिए आते है।

1.6.9 जैन तीर्थ

जालोर कचहरी परिसर के ठीक सामने स्थित नन्दीश्वर तीर्थ मन्दिर परिसर में स्थित विशाल धर्मशाला एवम् भोजन की सुविधा उपलब्ध है।

इनके अतिरिक्त भाण्डवपुर का जैन मन्दिर तथा माण्डवला का नव–निर्मित जहाज मन्दिर भी विख्यात एवं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है।

1.7 प्रमुख मेले

जालोर जिले में शिवरात्रि मेला, शीतला माता मेला, आशापुरी माताजी का मेला, सुंधामाताजी का मेला, सेवाडिया पशु मेला, सांचौर का पशु मेला, पीरजी का उर्स प्रमुख मेलों के रूप में मनाये जाते है।

1.8 प्रशासनिक ढांचा

विवरण	संख्या
उप खण्ड	5
पंचायत समिति	7
तहसील	7
राजस्व गांव	736
वास स्थान	825
ग्राम पंचायत	264
शहरी क्षेत्र	3
पंचायत वार्डों की संख्या	3207
नगरपालिका वार्डों की संख्या	70

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

10640 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए जालोर जिले में प्रशासनिक दृष्टि से जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय तथा विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है। जिले को पांच उपखण्ड, जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, एवं सांचौर में विभक्त किया गया है। जहां पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्थापित है। राजस्व प्रशासन के लिए जालोर आहोर भीनमाल, रानीवाड़ा सांचौर , बागोड़ा व सायला तहसील कार्यालय स्थापित किए गए है। विकास गतिविधियों के संचालन के लिए जालोर भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर आहोर, जसवन्तपुरा तथा सायला में कुल 7 पंचायत समिति कार्यालय स्थापित किए गए है।

जिले में 3 नगर पालिकाएं जालोर भीनमाल तथा सांचौर में स्थित है। जिले में 264 ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है तथा 736 राजस्व ग्राम है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति की दृष्टि से जालोर जिला – सिरोही संसदीय क्षेत्र है। जिले में कुल 5 विधान सभा क्षेत्र जालोर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा तथा सांचौर है। 10640 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जालोर जिले में वर्तमान में 7 तहसील, 5 उपखण्ड, 7 पंचायत समिति, 736 गांव एवं 3 नगरपालिका क्षेत्र है।

1.9 जनसंख्या की स्थिति

1.9.1 1991 एवं 2001 की जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण

जिला	क्षेत्रफल	1991			2001		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
जालोर	10640 वर्ग किमी.	588457	554106	1142563	736029	712457	1448486

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1448486 है। जिसमें से 736029 पुरूष एवं 712457 महिलाएं है। महिला पुरूषों का अनुपात 968 / 1000 है।

1.9.2 जिले की कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या विवरण

क्र.सं.	वर्कर	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कार्यशील	289193	49^{0}14	76297	13^{0}77	365490	31^{0}99
2	सीमान्त	7221	1^{0}25	98579	17^{0}79	105800	9^{0}26
3	अकार्यशील	292043	49^{0}63	379230	68^{0}44	671373	58^{0}75
कुल योग		*588457*		*554106*		*1142663*	

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

जिले की 69 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि का कार्य मानसून पर आधारित होने एवं समय पर वर्षा न होने तथा जिले में पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन कम हो पाता है। जिसके चलते जिले की 59 प्रतिशत जनसंख्या को बैरोजगारी का सामना करना पड़ता है।

1.9.3 जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	योग	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
जनसंख्या 1991	1142563	588457	554106	942
जनसंख्या 2001	1448486	736029	712457	968
जनसंख्या वृद्धि	305923	147572	158351	26
वृद्धि दर	26078:	1472058	1424914	1936

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सन् 2001 में जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 26.78 प्रतिशत रही है।

1.9.4 शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या (2001)

तहसील	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
आहोर	207732	102321	105411	0	0	0	207732	102321	105411
जालोर	174468	87590	86878	44828	23931	20897	219296	111521	107775
भीनमाल	182245	90855	91390	39278	20639	18639	221523	111494	110029
बागोड़ा	130842	66553	64289	0	0	0	130842	66553	64289
सायला	137776	69831	67945	0	0	0	137776	69831	67945
रानीवाड़ा	163322	84447	78875	0	0	0	163322	84447	78875
सांचौर	342114	176251	165863	25881	13611	12270	367995	189862	178133
कुल योग	1338499	677848	660651	109987	58181	51806	1448486	736029	712457

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी 2001 के अनुसार

ग्रामीण जनसंख्या – 92.40 %
शहरी जनसंख्या – 7.60 %

ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में 84.80 प्रतिशत का बहुत बड़ा अन्तर है। जो यह दर्शाता हैं कि जालोर जिले कि अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है।

1.9.5 जाति वार जनसंख्या (1991)

तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य			योग		
	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
आहोर	33397	17651	15746	19500	10511	8989	123287	60627	62670	176184	88789	87405
जालोर	55798	29440	26358	21878	11609	10269	203187	103203	99984	280863	144252	136611
भीनमाल	40633	21384	19449	25782	13638	12144	216637	110864	105743	283252	145916	137336
रानीवाड़ा	23332	12272	11060	17075	8956	8119	82718	42880	39838	123125	64108	59017
सांचौर	49881	26187	23694	12089	6382	5707	217169	112833	104336	279139	145402	133737
कुल योग	*203241*	*106934*	*96307*	*96324*	*51126*	*45228*	*842998*	*430407*	*412571*	*1042563*	*588467*	*554106*

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या में पुरूष 18.17 महिला 17.38 तथा जिले में 19.49 अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते है।

जिले में अनुसूचित जन जाति जनसंख्या में पुरूष 8.68% महिला 8.16% तथा जिले में 9.23% अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते है।

1.9.6 ग्रामों का जनसंख्या वर्ग के अनुसार वितरण (1991)

पंचायत समिति	Size गांवों की संख्या	<200	200-500	500-2000	2000-5000	5000-10000	>10000
आहोर	108	11	17	54	23	2	1
जालोर	66	2	8	39	14	3	0
भीनमाल	79	3	3	42	29	2	0
जसवन्तपुरा	72	1	16	38	15	2	0
सायला	77	3	2	44	22	6	0
रानीवाड़ा	83	2	12	52	15	2	0
सांचौर	180	5	21	115	38	1	0
कुल योग (जालोर)	665	27	79	384	156	18	1

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

जिले में जनसंख्या के आधार पर 500 से 2000 की आबादी वाले गावों की संख्या अधिक है।

1.10 राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रम

विकास योजनाएं	व्यय विवरण (लाख में)		
	1998-1999	1999-2000	2000-01
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	535.62	212.83	
ट्राईसम योजना	6.66	योजना बन्द हो गई।	
जवाहर ग्राम समृद्वि योजना	942	955	
बत्तीस जिले एवं बत्तीस काम योजना	71.28	योजना बन्द हो गई।	
निर्बन्ध राशि विकास योजना	40.83	योजना बन्द हो गई।	
वृद्वावस्था एवं अपाहिज पेन्शन	4.061	32.406	
सांसद क्षेत्र विकास कोष	69.53	157	
जल प्रदाय योजना	-	391	
माड़ा/बिखरी जनजाति योजना	1.628	4.516	

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2001 के अनुसार

– ❖ ❖ ❖ –

अध्याय – 2

जालोर जिले का शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षणिक विकास का इतिहास

जालोर जिला शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में बहुत ही कमजोर रहा है। विशेषकर महिला शिक्षा की स्थिति अत्यन्त ही कमजोर रही है। पर्दा प्रथा एवं सामाजिक सोच के कारण बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता है तथा बच्चों को खेती एवं पशु पालन के कार्य में सहयोग करना पड़ता है। पुराने जमाने में जालोर जिले में शैक्षणिक व्यवस्थाओं का बहुत ही अभाव था। उसके पश्चात् समय परिवर्तन के साथ–साथ शैक्षणिक व्यवस्थाओं में उपलब्धता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग दूर–दूर तक का सफर तय करते थे। वर्तमान समय में जालोर जिले में 554 सरकारी एवं 92 निजी प्राथमिक विद्यालय 904 राजीव गांधी पाठ्शालाएं, 316 सरकारी एवं 34 निजी उच्च प्राथमिक विद्यालय, 73 शिक्षाकर्मी विद्यालय, 21 संस्कृत विद्यालय, 87 माध्यमिक विद्यालय, 38 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 महाविद्यालय, 1 डाइट, 2 औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान है। जालोर जिले में लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजना दोनों ही कार्यरत है। इन दोनों की उपलब्धता के कारण जिले के शैक्षिक स्तर में अभुतपूर्व सुधार हुआ है। लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा जो बालक–बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह रहे थे उनमें वातावरण निर्माण के पश्चात् उनके सोच में परिवर्तन लाया गया है। लोक जुम्बिश द्वारा इस क्षेत्र में सहज शिक्ष केन्द्रों, शिक्षा मित्र केन्द्रों एवं बालिका शिक्षण शिविरों के माध्यम से इन वंचित बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जालोर जिले में 564 सहज शिक्षा केन्द्र, 71 शिक्षा मित्र केन्द्र एवं 6 बालिका शिक्षण शिविर संचालित किये गये है। इनमें से 3 शिविर पूर्ण हो चुके हैं तथा 3 शिविर वर्तमान में चल रहे है। इतना सब–कुछ होने के पश्चात् भी जिले में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या एक गंभीर समस्या है। शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 के अनुसार जिले में 6–14 आयु वर्ग के 23850 बालक एवं 59380 बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं। सन् 2000 के बाद शिक्षा जगत में आये क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप दिसम्बर 2002 तक इन वंचित बालक–बालिकाओं में से अधिकतर को विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं से जोड़ने का एक अभुतपूर्व प्रयास किया गया है। जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है।

वर्ष 1991 में जालोर जिले में 38.97 प्रतिशत पुरूष एवं 7.75 प्रतिशत महिला साक्षरता दर थी। लेकिन वर्ष 2001 में इसमें क्रांतिकारी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप पुरूष साक्षरता दर 65.10 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 27.53 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

अगर इसी तरह सम्मिलित प्रयास जारी रहा तो निश्चित ही जालोर जिला साक्षरता एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं में एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जायगा तथा शिक्षा से वंचित विभिन्न आयु वर्गों के समस्त लोग इसका लाभ लेंगे।

जिले की औपचारिक एवं वैकल्पिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार हैं –

2.2 औपचारिक विद्यालय

क्र.सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.			उ.प्रा.वि.			शिक्षाकर्मी			योग	
		सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि	योग	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि
1	आहोर	81	15	96	58	0	58	56	6	62	7	2	9	161	64
2	जालोर	46	11	57	45	0	45	33	6	39	15	0	15	117	39
3	भीनमाल	66	6	72	106	0	106	46	3	49	19	0	19	197	49
4	जसवन्तपुरा	50	17	67	71	0	71	30	4	34	7	0	7	145	34
5	सायला	69	11	80	155	0	155	34	10	44	7	0	7	242	44
6	रानीवाड़ा	46	14	60	161	0	161	39	4	43	16	0	16	237	43
7	सांचौर	196	18	214	308	0	308	78	1	79	0	0	0	522	79
योग		554	92	646	904	0	904	316	34	350	71	2	73	1621	352

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं लोक जुम्बिश परियोजना जालोर

2.2.1 वैकल्पिक विद्यालय

विद्यालय प्रकार	विद्यालय संख्या	नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
सहज शिक्षा केन्द्र	564	3375	10848	14223
शिक्षा मित्र केन्द्र	71	511	868	1379
अंशकालीन छात्रावास	3	83	20	103
बालिका शिक्षण शिविर	3	0	334	334
प्रहर पाठशाला	107	1044	1371	2415

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं लोक जुम्बिश परियोजना जालोर

जिले में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा 635 सहज शिक्षा/शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित किये जा रहे है। जिनमें 15602 बालक–बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही है। पलायन करने वाले परिवार के बालकों हेतु 3 अंशकालीन छात्रावास में 103 बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है।

2.3 साक्षरता दर–2001

क्र.सं.	विकास खण्ड	ग्रामीण			शहरी			योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1	आहोर	52.01	69.51	35.45	0	0	0	52.01	69.51	35.45
2	जालोर	42.86	61.79	24.10	71.87	86.37	55.18	49.01	67.31	30.3
3	भीनमाल	39.76	59.92	20.16	64.09	81.66	44.62	44.18	64.08	24.37
4	बागोडा	39.57	58.93	19.77	0	0	0	39.57	58.93	19.77
5	सायला	41.76	60.37	22.86	0	0	0	41.76	60.37	22.86
6	रानीवाडा	47.43	65.32	28.45	0	0	0	47.43	65.32	28.45
7	सांचौर	46.00	64.81	26.09	59.74	77.16	40.27	46.99	65.72	27.09
कुल योग (जालोर)		44.81	63.52	25.28	66.33	82.61	47.97	46.51	65.10	27.53

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2001 के अनुसार

जालोर जिले की 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 46.51 प्रतिशत है। जिसमें से पुरूष साक्षरता दर 65.10 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 27.53 प्रतिशत हैं।

2.3.1 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति

क्र.सं.	तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1	आहोर	33397	17651	15746	19500	10511	8989	52897	28162	24735
2	जालोर	55798	29440	26358	21878	11609	10269	77676	41049	36627
4	भीनमाल	40833	21384	19449	25782	13638	12144	66615	35022	31593
5	रानीवाड़ा	23332	12272	11060	17075	8956	8119	40407	21228	19179
6	सांचौर	49881	26187	23694	12089	6382	5707	61970	32569	29401
कुल योग (जालोर)		203241	106934	96307	96324	51096	45228	299565	158030	141535

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2001 के अनुसार

जालोर जिले में 203241 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 96324 व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के है। कुल 299565 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति के है।

2.4 जिले में उच्च अध्ययन सुविधाएं

शिक्षण संस्था -- नाम	राजकीय	निजी	योग
माध्यमिक	78	9	87
उच्च माध्यमिक	37	1	38
स्नातक महाविद्यालय	2	0	2
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1	0	1
डाईट	1	0	1
आई.टी.आई.	2	0	2
इन्जिनीयरिग महाविद्यालय	0	0	0
मेडिकल महाविद्यालय	0	0	0
विश्व विद्यालय	0	0	0

स्त्रोत – जि.श.अ.कार्यालय माध्यमिक

जिले में 87 माध्यमिक एवं 38 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है तथा जिले में जिला मुख्यालय पर एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं एक महिला स्नातक महाविद्यालय में छात्र उच्च अध्ययन प्राप्त करते हैं। एक महाविद्यालय भीनमाल विकास खण्ड में स्थित है। जिला मुख्यालय पर इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालय स्थित न होने के कारण छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु अन्य जिलों में पलायन मुख्यालयों पर जाना पडता है।

2.5 नामांकन

2.5.1 जाति वार नामांकन कक्षा I से VIII

क्र.सं.	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आहोर	4447	2768	7215	2414	1072	3486	13307	9694	23001	20168	13534	33702
2	जालोर	3999	2091	6090	1642	677	2319	11335	7890	19225	16976	10658	27634
3	भीनमाल	3404	1556	4960	1940	550	2490	18917	9708	28625	24261	11814	36075
4	जसवन्तपुरा	2245	1097	3342	1476	340	1816	10350	5160	15510	14071	6597	20668
5	सायला	6666	2665	9331	1846	604	2450	19759	8394	28153	28271	11663	39934
6	रानीवाड़ा	3694	1874	5568	2274	778	3052	12894	6990	19884	18862	9642	28504
7	सांचौर	7416	4097	11513	1615	713	2328	31398	21328	52726	40429	26138	66567
	कुल योग	31871	16148	48019	13207	4734	17941	117960	69164	187124	163038	90046	253084

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं लोक जुम्बिश परियोजना जालोर

उपर्युक्त सारणी के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति के 48019 बालक–बालिकाएं एवं अनुसूचित जनजाति के 17941 बालक–बालिकाएं कक्षा प्रथम से अष्टम् तक नामांकित है। जिले में अष्टम् तक कुल 253084 बालक–बालिकाएं नामांकित है।

2.5.2 कक्षा वार नामांकन

कक्षा	बालक	बालिका	योग
I	42916	29036	71952
II	30553	16998	50251
III	25285	13875	39160
IV	18959	8715	27674
V	14892	6389	21181
VI	10556	2641	13197
VII	6969	1539	8508
VIII	4398	835	5233
योग	154438	82718	237156

स्त्रोत – जि.शि.अ.(प्रा.) एवं शाला समंक 2001

उपर्युक्त सारणी के आधार पर कक्षा प्रथम में 42916 बालक एवं 29036 बालिकाएं अध्ययनरत है। जबकि कक्षा आंठवीं में मात्र 4398 बालक एवं 835 बालिकाएं ही अध्ययनरत है।

2.5.3 प्रबन्धानुसार अनुसार नामांकन (कक्षा I से VIII)

क्र.सं.	जिला	राजकीय विद्यालय			निजी विद्यालय			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	जालोर	81971	39080	121051	13187	5288	18475	178673	96510	275183

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं लोक जुम्बिश परियोजना जालोर

जिले में राजकीय विद्यालयों में 81971 बालक एवं 39080 बालिकाएं तथा निजी विद्यालयों में 13187 बालक एवं 18475 बालिकाएं नामांकित है।

2.5.4 आयु वार नामांकन

आयु	कक्षा								
	I से V			VI से VIII			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
<6	41682	16591	58273	0	0	0	41682	16591	58273
6 से 10	158861	115946	274807	0	0	0	158861	115946	274807
11 से 14	0	0	0	3304	11520	14824	3304	11520	14824
>14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	200543	132537	333080	3304	11520	14824	203847	144057	347904

स्त्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

उपर्युक्त सारणी के अनुसार जिले में 6 वर्ष से कम 58273 बालक–बालिकाएं, 6–10 वर्ष की आयु में 274807 बालक–बालिकाएं तथा 11–14 आयु वर्ग में 14824 बालक बालिकाएं नामांकित है।

2.5.6 नामांकन विद्यालय–वार

विद्यालय प्रकार	कक्षा I से V			कक्षा VI से VIII			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक	83515	52142	135657	0	0	0	83515	52142	135657
उच्च प्राथमिक	38615	21178	59793	19121	4110	23231	57736	25288	83024
रा.मा.पा.	24235	13792	38027	0	0	0	24235	13792	38027
अन्य विद्यालय	10385	4383	14768	2802	905	3507	13187	5288	18475
मा./उ.मा.	289	160	449	10640	3278	13918	10729	3438	14167

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं लोक जुम्बिश परियोजना जालोर

जिले में 135657 बालक–बालिकाएं प्राथमिक विद्यालयों मे, 83024 बालक–बालिकाएं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 38027 बालक–बालिकाएं राजीव गांधी पाठ्शालाओं में नामांकित है।

2.6 शिक्षा से वंचित बालकों का विवरण

ब्लॉक	6–11 वर्ष			11–14 वर्ष			विद्यालय से वंचित 6–11 वर्ष			विद्यालय से वंचित 11–14 वर्ष			विद्यालय से वंचित 6–11 वर्ष			विद्यालय से वंचित 11–14 वर्ष		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
आहोर	11968	10263	22231	6920	4788	11708	393	1184	1577	223	823	1046	3.2	11.5	7.0	3.2	17.1	8.9
जालोर	9002	7897	16899	5929	4141	10070	431	1018	1449	269	748	1017	4.7	12.8	8.5	4.5	18.0	10.0
भीनमाल	15640	13091	28731	8497	6080	14577	1788	4313	6101	893	2623	3516	11.4	32.9	21.2	10.5	43.1	24.1
जसवन्तपुरा	11964	9355	21319	6248	4778	11026	77	394	471	55	225	280	0.6	4.2	2.2	0.8	4.7	2.5
सायला	17540	14816	32356	10098	8167	18265	1468	3496	4964	893	2735	3628	8.3	23.5	15.1	8.8	33.4	19.8
रानीवाड़ा	14739	12931	27670	7932	6058	13990	1819	3970	5789	1004	2831	3835	12.3	30.7	20.9	12.6	46.7	27.4
सांचौर	28186	23933	52119	13851	9413	23264	744	1659	2403	285	876	1161	2.6	6.9	4.6	2.0	9.3	4.9
योग	109039	92286	201325	59475	43425	102900	6720	16034	22754	3622	10861	14483	6.16	17.3	11.3	6.0	25.0	14.0

स्त्रोत – शिक्षा दर्पण 2000 के अनुसार

जिले में 6–11 आयु वर्ग के 201325 बालक–बालिकाएं एवं 11–14 आयु वर्ग के 102900 बालक–बालिका है। उनमें से 22754 बालक–बालिकाएं 6–11 आयु वर्ग में तथा 14483 बालक–बालिकाएं 11–14 आयु वर्ग में शिक्षा से वंचित है जो 6–11 आयु वर्ग का 11.3 प्रतिशत तथा 6–14 आयु वर्ग का 14.00 प्रतिशत है।

2.7 सकल पहुंच दर

क्र.सं.	ब्लॉक	जनसंख्या 6–14			नामांकन कक्षा I से VIII			G.E.R.		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आहोर	18888	15051	33939	17005	11051	28056	90.00	73.04	82.06
2	जालोर	14931	12038	26969	17131	10201	27332	114.07	84.07	101.03
3	भीनमाल	24137	19171	43308	19289	8980	28269	79.09	46.08	65.27
4	जसवन्तपुरा	18212	14133	32345	14210	6784	20994	78.02	48.00	64.09
5	सायला	27638	22983	50621	25227	10330	35557	91.02	44.09	70.24
6	रानीवाड़ा	22671	18989	41660	17749	8706	26455	78.02	45.08	63.50
7	सांचौर	42037	33346	75383	39821	23447	63268	94.07	70.03	83.92
कुल योग		168514	135711	304225	150432	79499	229931	89.02	58.57	75.57

स्त्रोत्र – शिक्षा दर्पण एवं शाला समक 2000 के अनुसार

जिले के 6–14 आयु वर्ग की जनसंख्या 304225 है। उनमें से कक्षा प्रथम से अष्टम् तक 253084 बालक–बालिकाएं नामांकित है। नामांकन के आधार पर जिले की सकल पहुंच दर 75.57 है।

2.8 ठहराव दर

क्र.सं.	जिला	नामांकन कक्षा–I			नामांकन कक्षा–VIII			ठहराव दर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जालोर	40795	20995	61790	5213	1028	6241	12.7	4.8	10.1

स्त्रोत – जि.शि.अ. (प्रा.शि.) एवं शाला समक,1997,2001 के अनुसार

तालिका के अनुसार प्रथम कक्षा में 1997 में 61790 बालक–बालिकाएं नामांकित थे। तथा 2001 के अन्दर कक्षा 8 में 6241 बालक–बालिकाएं नामांकित हैं। नामांकन के आधार पर जिले की ठहराव दर 10.1 है।

2.9 अध्यापक स्थिति

2.9.1 विद्यालय वार शिक्षकों की संख्या

क्र.सं.	ब्लॉक	प्राथमिक			रा.गा.पा.			उ. प्रा.			योग		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	आहोर	293	58	351	55	3	58	307	62	369	655	123	778
2	जालोर	248	87	335	43	4	47	256	94	350	547	185	732
3	भीनमाल	310	47	357	105	4	109	343	70	413	758	121	879
4	जसवन्तपुरा	215	17	232	69	0	69	155	35	190	439	52	491
5	सायला	260	41	301	145	4	149	195	81	276	600	126	726
6	रानीवाड़ा	337	23	360	136	2	138	173	35	208	646	60	706
7	सांचौर	742	32	774	297	18	315	348	52	400	1387	102	1489
कुल योग		2405	305	2710	850	35	885	1777	429	2206	5032	769	5801

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. एवं लोक जुम्बिश

जिले में 2710 अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में, 2206 अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 885 अध्यापक राजीव गांधी पाठशालाओं में कार्यरत है। जिले में 5032 अध्यापक एवं 769 अध्यापिकाएं कार्यरत है।

2.9.2 जाति वार विवरण

क्र.सं.	ब्लॉक	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			योग		
		पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग
1	आहोर	123	15	138	53	1	54	424	104	528	600	120	720
2	जालोर	122	17	139	12	0	12	370	164	534	504	181	684
3	भीनमाल	108	9	117	24	0	24	521	108	629	653	117	780
4	जसवन्तपुरा	95	11	106	17	2	19	258	39	297	370	52	422
5	सायला	127	45	172	43	14	57	275	53	328	445	122	567
6	रानीवाड़ा	146	9	155	33	3	36	331	46	377	510	58	568
7	सांचौर	149	12	161	24	0	24	917	72	989	1090	84	1174
कुल योग		870	118	988	206	20	226	3096	586	3682	4172	734	4915

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. एवं शाला समंक 2001 के अनुसार

2.9.3 योग्यता वार विवरण

	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			रा.गा.पा.		
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग
शिक्षक	1649	10	1659	1828	8	1836	528	357	885

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. एवं शाला समंक 2001 के अनुसार

प्राथमिक विद्यालय में 1649 प्रशिक्षित एवं 10 अप्रशिक्षित, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1828 प्रशिक्षित एवं 8 अप्रशिक्षित, राजीव गांधी पाठ्शाला में 528 प्रशिक्षित एवं 357 अप्रशिक्षित, माध्यमिक विद्यालय में 485 प्रशिक्षित एवं 2 अप्रशिक्षित, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 569 प्रशिक्षित एवं 92 अप्रशिक्षित अध्यापक है।

2.9.4 अध्यापक रिक्त पद सूचना

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जालोर	1852	1348	504	1924	1532	392	1228	1140	98

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. कार्यालय

जिले में प्राथमिक विद्यालय में 504 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 392 तथा राजीव गांधी पाठ्शाला में 98 पद रिक्त है।

2.9.5 अध्यापक छात्र अनुपात

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.		
		नामांकन	कार्यरत शिक्षक	T.P.R.	नामांकन	कार्यरत शिक्षक	T.P.R.	नामांकन	कार्यरत शिक्षक	T.P.R.
1	जालोर	138044	1348	102.4	91907	1532	59.9	38027	1140	33.35

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. एवं शाला समंक 2001 के अनुसार

जिले में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक–छात्र अनुपात 1 : 102.4, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक–छात्र अनुपात 1:59.9 तथा राजीव गांधी पाठ्शाला में अध्यापक–छात्र अनुपात 1:33.35 है।

2.9.6 अध्यापकों का विद्यालय वार वितरण

विद्यालय	1 अध्या.	2 अध्या.	3 अध्या.	4 अध्या.	5 अध्या.	6 अध्या.	7 अध्या.	8 अध्या.	8से अधिक अध्यापक
प्राथमिक	199	233	108	45	23	16	14	6	5
उ.प्रा.वि.	17	19	35	41	49	61	36	17	13
रा.गा.पा.	720	165	.	.	.	.	.	.	.
योग	936	417	143	86	72	77	50	23	18

स्त्रोत – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)

2.10 भौतिक सुविधाएं

2.10.1 शाला भवन (केवल राजकीय विद्यालय)

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.		
		विद्यालय संख्या	भवन सहित	भवन रहित	विद्यालय संख्या	भवन सहित	भवन रहित	विद्यालय संख्या	भवन सहित	भवन रहित
1	जालोर	635	635	0	318	318	0	904	728	166

स्त्रोत – जि.शि.अ. प्रा.शि. एवं शाला समंक 2001 के अनुसार

जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन बने हुए है। 166 रा.गा.पा. भवन रहित है।

2.10.2 कक्षा कक्ष (केवल सरकारी)

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय							उच्च प्राथमिक विद्यालय							रा.गा.पा.						
		विद्यालय संख्या	कमरें						विद्यालय संख्या	कमरें						विद्यालय संख्या	कमरें					
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	जालोर	635	0	476	95	32	13	19	318	0	0	0	239	48	31	904	0	728	0	0	0	0

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

2.10.3 पानी की सुविधाएं

क्र.सं.	ब्लॉक	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.			अन्य		
		विद्यालय संख्या	पानी सुविधा उपलब्ध	पानी सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	पानी सुविधा उपलब्ध	पानी सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	पानी सुविधा उपलब्ध	पानी सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	पानी सुविधा उपलब्ध	पानी सुविधा अनुपलब्ध
1	आहोर	88	30	58	58			58	24	34	21	7	14
2	जालोर	61	31	30	33			45	13	32	19	3	16
3	भीनमाल	85	36	49	46			106	37	69	9	2	7
4	जसवन्तपुरा	57	17	40	30	24	6	71	10	61	21	0	21
5	सायला	76	9	67	34			155	31	124	21	11	10
6	रानीवाड़ा	72	35	37	39			161	62	99	18	10	8
7	सांचौर	196	113	83	76			308	107	201	19	2	17
	कुल योग	*635*	*271*	*364*	*318*	*303*	*15*	*904*	*284*	*620*	*128*	*35*	*93*

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

जिले में 271 प्राथमिक विद्यालय, 303 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 284 राजीव गांधी पाठ्शालाओं एवं 35 अन्य विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है।

2.10.4 शौचालय सुविधा

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा		
		विद्यालय संख्या	शौचालय सुविधा उपलब्ध	शौचालय सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	शौचालय सुविधा उपलब्ध	शौचालय सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	शौचालय सुविधा उपलब्ध	शौचालय सुविधा अनुपलब्ध
1	जालोर	635	505	130	318	293	25	904	0	904

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

जिले में 505 प्राथमिक विद्यालयों, 293 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी राजीव गांधी पाठशालाओं में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2.10.5 चार दिवारी सुविधा

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा.गा.पा.		
		विद्यालय संख्या	चार दिवारी सुविधा उपलब्ध	चार दिवारी सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	चार दिवारी सुविधा उपलब्ध	चार दिवारी सुविधा अनुपलब्ध	विद्यालय संख्या	चार दिवारी सुविधा उपलब्ध	चार दिवारी सुविधा अनुपलब्ध
1	जालोर	635			318				904	

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

जिले में 1034 विद्यालयों में चार दिवारी बनी हुई। 459 विद्यालयों में चार दिवारी निर्माण की आवश्यकता है।

2.11 जिले का प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अलग से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। जहां निदेशक का पद सृजित है। संभाग स्तर पर उप निदेशक तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के पद सृजित है। जिले में प्रारंभिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होती है। विकास खण्ड स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का पद सृजित है। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी परिवीक्षण इनका प्रमुख उतरदायित्व है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं यथा शिक्षा कर्मी,, लोक जुम्बिश, सतत् साक्षरता योजनाएं कार्यरत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु शिक्षा आपके द्वार अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान का कार्य प्रगति पर है।

प्रारंभिक शिक्षा का ढांचा

पद	स्तर
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा	निदेशालय
▼	▼
उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	संभाग स्तर
▼	▼
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला स्तर
▼	▼
अतिरिक्त विकास अधिकारी	ब्लॉक स्तर

2.12 जिले में संचालित अन्य योजनाएं

2.12.1 शिक्षा कर्मी योजना

जालोर जिले में 7 विकास खण्ड है। जिनमें से 6 विकास खण्डों में शिक्षाकर्मी परियोजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 6 विकास खण्डों में 71 विद्यालय संचालित है। इस योजना के नामांकन एवं ठहराव की स्थिति तथा व्यवस्था संतोषजनक। शिक्षा कर्मी परियोजना सन् 1987 से सीडा एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की गई।

उद्देश्य –

1. जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।
2. दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में जनसहभागिता से सुधार लाना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।
4. विद्यालय विहीन गांवों में नवीन शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना।

2.12.2 समेकित बाल विकास योजना

जालोर जिले में परियोजना उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवा का कार्यालय है। जिले के सातों विकास परियोजना उप निदेशक के अधीन 7 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में 7 सी.डी.पी.ओ. इस कार्यक्रम को गति दे रहे है। महिला पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) समय–समय पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य करती है। प्रारंभिक बचपन में सही विकास ही मानव विकास का आधार है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए सामुदायिक स्तर पर बुनियादि सेवाओं को मजबूत बनाकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए आई.सी.डी.एस. योजना कार्य कर रही है।

2.12.3 राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम योजना का शुभारम्भ 1995 में हुआ। इस कार्यक्रम से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव की दर बढ़ी है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से गुणात्मक शिक्षा की प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचना आसान हुआ है। प्राथमिक कक्षाओं की अध्ययनरत बालकों को पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराना नामांकन वृद्धि की दिशा में श्रेष्ठ कदम है। जालोर जिले की सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं, शिक्षा कर्मी विद्यालयों तथा सहज शिक्षा, शिक्षामित्र, चल विद्यालय केन्द्रों के प्राथमिक कक्षाओं के सभी बालक–बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो रहे है। राजस्थान सरकार के श्रेष्ठ कार्यक्रमों में पोषाहार योजना महत्वपूर्ण है।

2.12.4 लोक जुम्बिश परियोजना

लोक जुम्बिश परियोजना ने जालोर जिले में 1993 से आहोर विकास खण्ड में कार्य की शुरूआत की। 1996 से जालोर तथा 1997 में भीनमाल विकास खण्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में सातों विकास खण्डों में परियोजना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से

प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी की सहभागिता हेतु लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा जिले को 36 संकुलों में विभाजित कर निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

2.12.4.1 परिचालन गतिविधियां

1. वातावरण निर्माण।
2. गांवाई समितियों (प्रेरक दल, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति) के चयन, प्रशिक्षण एवं मासिक बैठकों के साथ–साथ सम्मेलन आयोजित कराना।
3. शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन का कार्य प्रेरक दल व वी.ई.सी. द्वारा करवाना।
4. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना बनाना एवं आवश्यकतानुसार गांव में औपचारिक/अनौपचारिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव गांवाई समितियों द्वारा तैयार करवाना एवं स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय शिक्षा प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजित करना।

2.12.4.2 महिला समूह

1. महिला समूह का चयन व गठन करना।
2. मासिक बैठकें आयोजित करना।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु बचत समूह बनाना, कौशल प्रशिक्षण दिलवाना।
4. किशोरी मंच का चयन, प्रशिक्षण एवं बैठकें आयोजित करना।
5. अध्यापिका मंच का गठन व बैठकें आयोजित करना।
6. अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना, महिला मेले आयोजित करवाना।

2.12.4.3 शिक्षा में गुणात्मक सुधार/प्राथमिक शिक्षा

1. विद्यालय अवलोकन कार्मिकों एवं सी.आर.टी., बी.आर.टी. सदस्यों द्वारा करना।
2. शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन। (अभिमुखीकरण, विषय वस्तु में व्यक्तित्व विकास)
3. संकुल स्त्रोत दल व खण्ड स्त्रोत दल का चयन, गठन व बैठकें आयोजित करना।
4. शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु कंटीजंसी राशि वितरण करना व कार्यशाला का आयोजन करना।
5. विद्यालयों में स्थायी व अस्थाई सामग्री की उपलब्धता कराना।
6. बच्चों के पलायन (सांचौर विकास खण्ड में जोरादर एवं सांकरिया में लोगों का मजदूरी हेतु पलायन) को रोकने हेतु अंशकालीन छात्रावास शुरू करना।
7. प्रधानाध्यापक व अध्यापक बैठकें आयोजित करना।

2.12.4.4 सहज शिक्षा कार्यक्रम

औपचारिक शिक्षण संस्थाओं से नहीं जुड़ने वाले कामकाजी बालक–बालिकाओं हेतु सहज शिक्षा केन्द्र (9–14 आयु वर्ग) परियोजना द्वारा जिले में 564 सहज शिक्षा केन्द्र तथा 71 शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित किये जा रहे है।

1. अनुदेशक प्रशिक्षण का आयोजन व मासिक बैठक।
2. केन्द्र हेतु स्थायी व अस्थायी सामग्री की उपलब्धता।
3. खण्ड संचेतन दल व संकुल संचेतन दल का गठन, अनुदेशकों की उपस्थिति प्रमाणित करने में सहयोग प्रदान करना।
4. गांवाई समितियों द्वारा केन्द्रों का अवलोकन, अनुदेशकों की उपस्थिति प्रमाणित करने में सहयोग प्रदान करना।
5. 9–14 वर्ष की बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षण शिविर जालोर जिले के भीनमाल, आहोर एवं सायला विकास खण्ड में संचालित किये जा रहे है। जिनमें वर्तमान में 334 बालिकाएं अध्ययनरत है। जिले में एक बालिका शिक्षण शिविर और संचालित किया जाना है।

2.12.4.5 भवन विकास

जिले में नवीन भवन, विद्यालय भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, रैम्प निर्माण का कार्य किया जा रहा है। भवन विकास का कार्य गांवाई स्तर पर गठित भवन निर्माण समितियों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2002–03 में सातों विकास खण्डों में 33 मरम्मत कार्य, 14 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण, 42 शौचालय निर्माण, 35 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा तथा 35 विद्यालयों में रैम्प निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

2.12.5 समेकित बाल विकास कार्यक्रम

जिले के बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जिले के सातों पंचायत समितियों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य है –

1. 0–6 वर्ष के बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
3. बाल मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सभी दिशाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को योग्य बनाना।

जालोर ज़िले में आई.सी.डी.एस. द्वारा चलाये जा रहे शाला पूर्व शिक्षा 3–6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध करवायी जाती है। बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के चार्टस, चित्रांकन, कहानियां, गीतों एवं खिलौनों के माध्यम से सिखाया जाता है तथा बच्चों के अभिभावकों को शाला में दाखिल कराने हेतु प्रेरित किया जाता है।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 3

योजना प्रक्रिया

आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता सभी को प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना है। इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्तपूर्ण कदम है। लोक जुम्बिश परियोजना में इस कार्यक्रम हेतु ग्राम स्तर पर प्रेरक दल, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधानाध्यापक बैठकों का आयोजन किया है। विकास खण्ड स्तर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी, ब्लॉक स्तर के कार्मिकों के साथ शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विस्तृत समूह चर्चा की गई। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं, विद्यालय में शैक्षिक वातारवरण से जुड़े मुद्दों जिनमें नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता सुधार पर चर्चा की गई। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर पर चर्चा के दौरान यह उभर कर आया कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे क्षेत्र में चल रही समस्त योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जावें और इस योजना को इतना व्यवहारिक बनाया जावें ताकि प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाया जा सकें। सरकारी विद्यालयों का वातावरण इतना आनन्ददायी बना दिया जावे, जहां बालक अपनी इच्छा एवं रूचि के साथ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। विद्यालयों में ठहराव युक्त नामांकन सुनिश्चित हो। इसी सोच के आधार पर योजना के निर्माण का स्वरूप व्यापक बनाया गया है।

3.1 जिला आयोजना दल का गठन

जालोर जिले में योजना के स्वरूप को व्यापक बनाने हेतु जिला स्तर से ग्राम स्तर तक सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जिले पर जिला आयोजना कमेटियों का गठन किया जाएगा। जो निम्नानुसार होगी –

3.1.1 जिला शिक्षा समिति

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं प्रभावी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें निम्न सदस्य होंगे –

❖	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
❖	अतिरिक्त जिला क्लेक्टर (विकास)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
❖	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य

❖	प्रार्चाय (डाइट)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖	अधिशाषी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖	अधिशाषी अभियन्ता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
❖	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖	जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
❖	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
❖	शिक्षाविद् (दो नामित)	सदस्य
❖	सहायता प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
❖	अध्यापक संगठन प्रतिनिधि	सदस्य
❖	अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

3.1.2 ब्लॉक शिक्षा समिति

विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें निम्न सदस्य होंगे –

1.	प्रधान	अध्यक्ष
2.	सरपंच	सदस्य
3.	सरपंच (दो महिलाएं)	सदस्य
4.	जिला परिषद सदस्य (एक पुरूष, एक महिला)	सदस्य
5.	पंचायत समिति सदस्य (एक पुरूष, एक महिला)	सदस्य
6.	शिक्षाविद	सदस्य
7.	अल्प संख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रार्चाय उ.मा.वि.	सदस्य
9.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
10.	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
11.	अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
12.	परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव

3.1.3 ग्राम शिक्षा समिति

प्रत्येक ग्राम स्तर पर शिक्षा का सार्वजनीकरण करना है। अतः ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1.	सरपंच	अध्यक्ष
2.	अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
3.	अनुसूचित जन जाति प्रतिनिधि	सदस्य
4.	महिला प्रतिनिधि	सदस्य
5.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
7.	अभिभावक	सदस्य
8.	सक्रिय सदस्य	सदस्य
9.	संकुल प्रभारी	सदस्य
10.	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव

3.2 बैठकें

ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान मूर्त रूप देने हेतु ग्राम शिक्षा समिति संकुल स्तरीय बैठक, विकास खण्ड स्तर की बैठकें, खण्ड परिचालन एवं जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। क्षैत्र विशेष की समस्याओं की पहचान हेतु कुछ ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से कम हैं और उन्हें अनुसूचित जाति बहुल क्षैत्र हैं और कुछ गांव ऐसे जिनकी आबादी 1000–1500 के मध्य हैं और वहां अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रहे हैं। ऐसे गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और शिक्षा से न जुड़ने के कारणों की चर्चा की गई। बैठकों में मुख्यतः निम्न समस्याएं उभर कर आयी। जिसमें मुख्य भौतिक सुविधा, अकादमिक सुविधा, शैक्षिक सुविधाएं, छितरी हुई आबादी का होना, बार–बार अकाल पड़ना, पलायन की स्थिति जिले में स्थानीय प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात सही न होना, ठहराव युक्त नामांकन, गुणवत्ता रोजगार हेतु पलायन, पशु पालन, शिक्षण की अनियमितता, विद्यालय निरीक्षण की कमी, शिक्षक अभिभावक सम्पर्क में कमी तथा क्षेत्रीय समस्याएं निम्नानुसार थी :–

3.2.1 भौतिक सुविधा :– विद्यालयों के जीर्ण–क्षीण भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पीने के पानी का अभाव, अपूर्ण शौचालय, चार दिवारी का अभाव साथ ही विद्यालयों में फर्नीचर, खेल–कुद के सामान का प्रमुख अभाव है।

3.2.2 शैक्षिक संसाधन :– मुख्य रूप से विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों का न होना, शैक्षिक साधन जैसे– श्याम्पट्ट, चॉक, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक पुस्तकों का अभाव आदि है।

3.2.3 शैक्षिक वातावरण :– अधिकतर विद्यालयों का वातावरण नीरस होने एवं नवाचार का प्रयोग नहीं करने से विद्यालय में बालकों का शैक्षिक स्तर ठहराव न्यूनतम अधिगम स्तर तक नहीं हो पा रहा है। जिससे विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इन बैठकों में प्रयास किये गये तथा इस प्रकार की कोई योजना बनाने की आवश्यकता महसुस की गई। इस आवश्यकता की पूर्ति *सर्व शिक्षा अभियान* के तहत् पूरा करने की बात उठायी गई।

3.3 परिवार सर्वे

जालोर जिले में शैक्षिक स्थिति के आंकलन के लिए शिक्षा दर्पण 2000 में सर्वे किया गया। जिसके आधार पर प्रत्येक बालक–बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का 2001 में शुभारम्भ किया गया। शिक्षा आपके द्वार के अन्तर्गत जालोर जिले में 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं का सर्वे किया गया तथा शिक्षा दर्पण 2000 को आदिनांक किया गया। शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार जालोर जिले में 50267 बच्चे शिक्षा से वंचित है। जिनमें 37909 बालिकाएं है, जो कि कुल वंचित बच्चों का लगभग 70 प्रतिशत है। इन बालक–बालिकाओं को शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन ग्राम, पंचायत समिति, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया तथा इन बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए सामुदायिक गतिशीलता के साथ बाल मेले, कला जत्थों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लोक जुम्बिश एवं साक्षरता समिति के माध्यम से किया गया।

3.4 शहरी क्षेत्र

जालोर जिले में 3 शहरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बच्चों का पहली बार सर्वेक्षण किया गया। जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 6–14 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 21259 थी। जिसमें से 748 बालक एवं 1281 बालिका कुल 2029 बच्चे शिक्षा से वंचित थे। इस प्रकार देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी बालिकाएं शिक्षा से अधिक वंचित थी।

3.5 शैक्षिक प्रबन्ध सूचना तंत्र

विद्यालयों में बालकों के ठहराव एवं नामांकन से सूचनाओं को शैक्षिक प्रबन्ध सूचना तंत्र द्वारा एकत्रित किया गया। जिसमें शिक्षा से वंचित प्रत्येक बालक को विद्यालय भेजने हेतु जिम्मेदारी तय करना एवं नामांकन से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। इन आंकड़ों को विद्यालय से संकुल एवं संकुल से विकास खण्ड तथा विकास खण्ड से जिला स्तर पर समेकित किया जाता है।

3.6 सामुदायिक गतिशीलता सम्बन्धी गतिविधियां

विभिन्न प्रकार की बैठकों में यह उभर कर आया कि अधिकांश ग्रामीण जन शिक्षा के महत्व से वाकिब नहीं है। विशेषकर वे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति इतने उदासीन होते हैं कि वे यह सोचते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा समय की बरबादी एवं बेकार मेहनत है। पिछड़े वर्ग में विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जन जाति में छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर ससुराल भेज दिया जाता है तथा बालिकाओं को पराये घर की अमानत समझकर शिक्षा से वंचित रखा जाता हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं पर घरेलु कार्यों का बोझ होने से उन्हें शिक्षा से नहीं जोड़ा जाता है। इन सबको दूर करने हेतु प्रत्येक जन तक शिक्षा का सन्देश पहुंचाने हेतु समुदाय में सामुदायिक गतिशीलता से वातावरण निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन कर जन सामान्य तक शिक्षा के महत्व की विभिन्न माध्यमों द्वारा जानकारियां प्रदान किया जाना एवं ग्राम स्तर पर प्रेरक दल का गठन तथा गांवाई समितियों का प्रशिक्षण आयोजित कर जन सामान्य को यह जानकारी दी गई।

3.7 वंचित वर्ग की पहचान, अन्वेषण एवं समस्याएं

पिछले दशक में जालोर जिले की साक्षरता दर बहुत कम थी। ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। जिले की लगभग 68.57 प्रतिशत आबादी श्रमिक वर्ग की हैं तथा गावों में महिलाएं घरेलू कार्यों से जुड़ी हुई है। श्रमिक एवं कृषक संवर्ग के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत कम जागरूक है। इस वर्ग की पहचान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से वंचित बच्चे घुमन्तु परिवारों, भूमिहीन मजदूरो, खनन् मजदूरों, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में पाये जाते हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी यह वर्ग चाय की दुकानों, चिथड़े उठाते, कच्ची बस्तियां, उद्योग धन्धों, गृह कार्यों के लिए मजदूरी कर आय में वृद्धि करते हुए पाये जाते है। इससे संकेत मिलता हैं कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग की समस्या निरन्तर बढ़ रही है।

इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान में इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये। जिसमें शिक्षा गारण्टी योजना प्रमुख है। अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता न होने से वे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश व शिक्षा से जोडने में रूचि नहीं रखते हैं। इस समस्या का गांवों में विशेष रूप से सामना करना पड़ता है।

3.8 जालोर जिले में अन्य कुछ समस्या एवं मुद्दे निम्न हैं

3.8.1 निरक्षरता एवं अभिभावकों की अज्ञानता

निरक्षर व शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। फलस्वरूप जिले के कई विद्यालय जाने योग्य कई बालक–बालिका उनकी अज्ञानता का शिकार होते हैं, व विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

3.8.2 शिक्षा की अनुपयोगिता

अभिभावकों में आज भी ऐसी भ्रांतिपूर्ण धारणा बनी हुई हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी युवक युवतियों को भी नौकरी के लिये दर–दर भटकना पड़ता हैं, तथा उन्हें मनचाही नौकरी हासिल नहीं हो पाती हैं। इस भ्रांतिपूर्ण विचारधारा के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में हिचकिचाते हैं। जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नौकरी न होकर बच्चों को शिक्षित बनाना और सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु जागरूक करना हैं।

3.8.3 विद्यालयों में सुविधाओं की कमी

जिले के बहुत से विद्यालय आज भी भवन विहीन हैं तथा शहरी क्षेत्र में कुछ विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं। अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण अभाव हैं। वर्षा ऋतु में विद्यालय भवनों में पानी टपकता हैं तथा कुछ विद्यालयों में खिड़की व दरवाजे भी नहीं हैं। विद्यालय का यह उबाउ वातावरण बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर विपरित प्रभाव छोड़ता हैं, तथा उनके मानस में निरसता पनपती हैं।

3.8.4 शिक्षकों की उदासीनता

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अरूचि और उदासीनता भी बच्चों को विद्यालय आने के लिये प्रोत्साहन में कमीं करते हैं, विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी शिक्षक उदासीनता के कारण नहीं आने वालों की श्रेणी को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात् उपस्थित होने पर भी उन्हें ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता हैं।

3.8.5 मवेशी चराना

जिले में अधिकांशतः 6–11 आयुवर्ग के बच्चे दिन में अपने पालतु मवेशीयों को चराने का कार्य करते हैं। उनके अभिभावक भी उन्हें शिक्षा न दिलाकर पशु चराने हेतु प्रेरित करते हैं। उनकी ऐसी भावना शिक्षा के प्रति उदासीनता का द्योतक हैं।

3.8.6 घरेलू कार्य

जिले में अधिकतर बालिकाएँ अपने अभिभावकों की अनिच्छा और स्वयं की मजबूरी के कारण शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़ पाती हैं, जबकि उनके मन में शिक्षा प्राप्ति की अटूट लगन होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण भी विद्यालय नहीं जा पाती हैं।

3.8.7 गरीबी

अभिभावकों की गरीबी भी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रखने का एक प्रमुख कारण कही जा सकती हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था आर्थिक रूप से बोझिल नहीं हैं। किन्तु ग्रामीण अपने बालक–बालिकाओं को शिक्षा दिलवाने में असमर्थता का कारण अपनी गरीबी प्रकट करते हैं।

3.8.8 लिंग संवेदनशीलता

हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता हैं, क्योंकि उन्हें पराया धन और धरोहर के साथ–साथ पड़ौसी के पौधे को पानी देने के समान समझा जाता हैं। अतः बालिका को बालक की अपेक्षा परिवार में कम महत्व दिया जाता हैं। तथा बालिका शिक्षा पर किये गये व्यय को व्यर्थ माना जाता हैं।

3.8.9 बाल विवाह

जालोर जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के समुदायों में बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित हैं। जिसके कारण 6–11 वर्ष के बालक–बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये अज्ञानी, अशिक्षित एवं रूढ़िवादी जातियां शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती हैं। जिसके कारण छोटी उम्र में बालक–बालिकाओं का विवाह कर शिक्षा जैसे पवित्र कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं।

3.8.10 शिक्षण संस्थाओं का अभाव

जालोर जिले के कुछ दूरदराज के वास स्थानों में आज भी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं। तथा वर्षा ऋतु एवं तेज धूप व आंधियों के समय में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिये पड़ौसी गांवों में जाना पड़ता हैं जिससे ठहराव व नामांकन पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा एक किमी की परिधि में वास स्थानों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई हैं। फिर भी विद्यालय विहीन स्थानों पर शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक हैं।

3.8.11 ठहराव

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में नामांकन के बाद दूसरी आवश्यकता ठहराव की हैं। सामान्यतः जुलाई अगस्त माह में प्रवेशोत्सव आदि गतिविधियों के कारण अधिकांश बालक–बालिकाऐं विद्यालय में प्रवेश ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु कुछ महिनों अथवा दिनो के बाद विभिन्न कारणों यथा – विद्यालय में सुविधाओं का अभाव, अनाकर्षक वातावरण आदि से विद्यालय छोड़ देते हैं।

3.8.12 शिक्षा की गुणवत्ता

छात्र को विद्यालय में घर जैसा तथा आकर्षक वातावरण मिलना चाहिये, परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में वस्तुस्थिति इसके विपरित हैं। बच्चों को विद्यालय में प्राप्त होने वाला उदासीन एवं अरूचिकर वातावरण ठहराव में बाधा उत्पन्न करता हैं, इसके निम्न कारण हैं –

- ❖ अध्यापक द्वारा रूचि नहीं लेना।
- ❖ अनाकर्षक पुस्तकें।
- ❖ लिंगभेद, जातपात तथा धर्म के प्रति संवेदनशीलता
- ❖ शिक्षकों के अभिनवन प्रशिक्षणों का अभाव।
- ❖ उचित पर्यवेक्षण का अभाव।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Plann
17-
New Delhi
DOC, No.
Date

- ❖ मानवीय मूल्यांकनों का अभाव।
- ❖ बोझिल एवं उबाऊ पाठ्यकम।
- ❖ अनाकर्षक शिक्षण विधिया।

जालोर जिले के कुछ दूर दराज के वास स्थानों में आज भी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अथवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर–दूर तक जाना पड़ता है। जिससे ठहराव और नामांकन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3.9 शिक्षा की मांग

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विचारों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते है और अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना चाहते है।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान – लक्ष्य एवं उद्देश्य

भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का समुदाय के सहयोग से सार्वजनीनकरण करने का एक प्रयास है। यह 6–14 आयुवर्ग सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्वता के अनुसरण में सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुई है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में दिये गये महत्व के अनुसरण में कई योजनाएँ तथा कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनमें प्रमुखतः आपरेशन ब्लेक बोर्ड (ळठ) अनौपचारिक शिक्षा महिला समस्या, गुरुमित्र योजना, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएँ जैसे बिहार शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश मे सभी के लिये शिक्षा परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (क्च्च्), राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम आदि सम्मलित है ।

प्रत्येक बालक बालिका को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा का मानव कल्याण विशेषकर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चो का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है । अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है ।

4.1 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण का समयबद्व कार्यक्रम है ।

- ❖ पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक अवसर ।
- ❖ पंचायतीराज संस्थाओं, शाला प्रबन्धन समितियों ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तीयो की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद्, मातृ अभिभावक परिषद्, जनजातिय स्वायत परिषदों तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबन्धन में एक प्रयास।
- ❖ केन्द्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग।
- ❖ राज्य को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रुप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओ की तैयारी पर बल

देकर समग्र एवं संकेंद्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रुप में प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रुप में प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की ।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान क्यों ?

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है परन्तु 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड बच्चो में से 5–9 करोड बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है । इनमे 3–5 करोड लडकियॉ तथा 2–4 करोड लड़के है। ये समस्याए पढाई बीच में छोडने की दर अधिगम उपलब्धि का न्यून स्तर और लडकियों जनजातियो और अन्य वंचित वर्गो की कम सहभागिता से संबंधित है । अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तिया है जहॉ एक किलोमीटर के दायरे मे विद्यालयी सुविधाऍं नहीं है । इसके साथ ही विद्यालयों को अपर्याप्त बुनियादी ढॉचा विद्यालयों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तयों की अधिक संख्या शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियॉ जैसे विभिन्न संबद्ध कारण भी है । सार में देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण (UEE) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में विद्यालयी सुविधाए प्रदान कर के शतप्रतिशत नामांकन तथा बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना इसी अन्तर को पूरा करने के लिय सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ।

4.3 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- ❖ सभी बच्चों के लिये 2003 विद्यालयी शिक्षा की गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय की उपलब्धता करवाना।
- ❖ सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करे ।
- ❖ सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर ले ।
- ❖ गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो पर बल देना।
- ❖ जेण्डर असमानता तथा सामाजिक वर्ग – लिंग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना । वर्ष 2010 तक सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव मे सुनिश्चित करना ।
- ❖ सकल नामांकन दर को सन् 2007 तक 100 प्रतिशत करना।
- ❖ शालाओं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) की मरम्मत एवं जरूरतमंद विद्यालयों में शौचालय एवं शुद्ध पेयजल तथा चार दिवारी की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ❖ जन सहभागिता द्वारा भौतिक व अकादमिक गतिविधियों को सुदर्ढ किया जाना।

4.4 जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य

- वर्ष 2003 तक जिले के सभी विकास खण्डों के तथा नगरीय क्षेत्रों के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निकटवर्ती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक, शिक्षाकर्मी एवं राजीव गांधी पाठ्शालाओं में प्रवेश दिलाना।
- सामान्य वर्ग के अलावा विशेष वर्ग यथा दलित वर्ग, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग, बाल श्रमिक, घुमन्तु जातियां जैसे गाड़लिया लुहारों के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
- औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से किन्हीं विशेष कारणों से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- शाला से वंचित तथा बीच में ही शाला छोड़ देने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं यथा – कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल एवं चार दिवारी का निर्माण कराना।
- खेल एवं क्रिया आधारित शिक्षण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराना।
- बालकों को दरी पट्टी तथा विद्यालयों को फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना।
- शिक्षा की उपयोगिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु शिक्षकों को बोद्धिक तथा मानसिक सम्बलन प्रदान करने एवं व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु प्रीाावी एवं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों के प्रबंधन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 5

पहुंच एवं ठहराव

5.1 भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रावधान है। जालोर जिले का क्षेत्र बिखरा हुआ होने के कारण प्रत्येक गांव में विद्यालय सुविधा तथा विद्यालयों में नामांकन का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु एक व्यूह रचना की आवश्यकता है। वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को सम्मिलित कर सर्व शिक्षा अभियान की तथ्यात्मक कार्यनीति बनायी जायेगी। सबसे पहले प्रत्येक 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को विद्यालय की सुविधा सुलभ हो, यह सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को खोलना एवं उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोनत करना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना, सहज शिक्षा कार्यक्रम एवं अन्य नवाचारी कार्यक्रमों द्वारा समस्त शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा जो जुड़े हुए हैं, वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें। यह सुनिश्चित करना भी एक ध्येय है। साथ ही शिक्षा को व्यवसाय परक व समुदाय की भागीदारी लेना भी एक लक्ष्य है।

5.1 पहुँच की समस्याऐं

इसके अन्तर्गत निम्न समस्याऐं हैं जिनसे सभी बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं :–

* उचित विद्यालय सुविधाओं का अभाव होना।
* कक्षा कक्ष में क्षमता से अधिक बच्चे।
* घरेलू काम काज।
* छोटे बच्चों की देखभाल।
* बच्चों का अन्य घरेलू कार्य में सहयोग।
* शिक्षकों की अरूचि।
* अरूचिकर एवं बोझिल पाठ्यक्रम।
* एकल अध्यापक विद्यालय।
* पर्याप्त छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों का अभाव।
* विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव।
* अभिभावकों में जागरूकता का अभाव।
* काम के लिए अभिभावकों का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पलायन।

5.2 पहुँच दर

वासस्थान की संख्या	वासस्थान में विद्यालय संख्या	वासस्थान जहां विद्यालय सुविधा नहीं है।	सकल पहुंच दर
850	778	72	98.59

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

जालोर जिले में वासस्थानों की संख्या 850 है। जिसमें से 778 वासस्थान में विद्यालय उपलब्ध है। 72 वासस्थानों में विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जिले की सकल पहुँच दर 98.59 प्रतिशत है।

5.3 शिक्षा से वंचित बच्चे

6–14 वर्ष बालकों की संख्या			6–14 आयु वर्ग के नामांकित बच्चे			विद्यालय से वंचित बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
13487	*36048*	*49535*	*11654*	*31086*	*42740*	*1833*	*5962*	*7795*

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

सारणी को देखने पर 6–14 आयु वर्ग के 49535 बच्चे है। जिनमें 1833 बालक तथा 5962 बालिकाओं सहित कुल 7795 बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित है।

5.4 प्राथमिक विद्यालय

6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु जिले में 457 विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था निम्नानुसार होगी –

नवीन प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
संख्या	0	96	96	169	96	457

5.5 प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

वर्तमान में जिले में कुल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 623 है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 316 है। इस संख्या में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2 : 1 करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। ये विद्यालय जैसे ही क्रमोन्नत होंगे, वैसे ही प्रथम वर्ष में 1 पैरा टीचस, द्वितीय वर्ष में 2 पैरा टीचर एवं तृतीय वर्ष में 3 पैरा टीचर प्रति विद्यालय लगाने की व्यवस्था की जायेगी। जिले की आवश्यकता को देखते हुए 103 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

5.5.1 प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
संख्या	0	0	15	32	56	103

5.5 वैकल्पिक विद्यालय खोलना

वैकल्पिक विद्यालय व्यवस्था 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चों लिए हैं जो कि किन्हीं कारणों की वहज से औपचारिक विद्यालयों से जुड़ने में असमर्थ है। उन बच्चों हेतु वैकल्पिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसके उद्देश्य निम्न है –

- दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों अथवा छोटे–मोटे आवास स्थलों जहां कि आबादी 100 व 15 बच्चे उपलब्ध हो सके।
- अनामांकित तथा विद्यालय छोड़ने वाले बालक–बालिकाओं, विशेषकर बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कराना।
- कामकाजी बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।
- अल्प संख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं, विशेषकर बालिकाओं के लिए मदरसों में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना।
- वैकल्पिक विद्यालयों के प्रभावी संचालन के लिए शाला प्रबन्ध समितियों का गठन करना।
- वैकल्पिक विद्यालयों को भी औपचारिक विद्यालयों में दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

5.5.1 प्रस्तावित व्यूह रचना की विशेषताएं

(अ) वैकल्पिक विद्यालयों को 6 घण्टे खोलने का मानदण्ड

* जिन गांवों/वासस्थानों में 100 से ज्यादा की आबादी हो।
* जहां एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हो।
* जहां पर 15–20 स्कूल जाने वाले छात्र–छात्राएं उपलब्ध हो।

(ब) वैकल्पिक विद्यालय (4 घण्टे)

* जहां कामकाजी, अनामांकित तथा विद्यालय छोड़ चुके बालक–बालिकाएं, विशेषकर बालिकाएं उपलब्ध हो।
* जहां 10–15 विद्यालय नहीं जाने वाले बालक–बालिकाएं उपलब्ध हो।

5.6 शिक्षा गारन्टी विद्यालय (EGS) खोलना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6–14 के बच्चों को आवश्यक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा दी जावे। अतः सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वजनीकरण में निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम की पूरा किया जावे।

* सभी बच्चे 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी स्कूल EGS वैकल्पिक शिक्षा या विद्यालय में प्रवेश दिलाया जावें।
* सभी बच्चे 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
* सभी बच्चे 2010 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।

EGS में 6–14 आयु वर्ग के बालकों को व अक्षमतायुक्त बालकों को 18 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रावधान है। EGS का आधार सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीकरण की वयवस्था करना है। जिले में 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक/बालिका का नामांकन होना चाहिए।

EGS को सर्व शिक्षा अभियान में एक अभिन्न अंग के रूप में चलाया जायेगा। जो जिले में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत् विद्यालय सुधार, बच्चों को प्रोत्साहन, अध्यापकों की पूर्ति, प्रचलित विद्यालयों में गुणात्मक सुधार, वंचित बच्चों का प्रवेश इनका उद्देश्य होटलों में कार्य करने वाले, घुमन्तु, गलियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। यह केन्द्र वहां खोले जायेंगे। जहां एक किलोमीटर तक की सीमा में कोई विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

5.6.1 व्यूह रचना

* विद्यालयहीन बस्तियों में EGS स्कूल खोलना।
* स्कूल से न जुड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रयास।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत् इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु शिक्षा गारंटी केन्द्र खोलने का प्रावधान रखा गया है।

5.6.2 सामुदायिक भागीदारी

समुदाय की भागीदारी **EGS** में होगी। समुदाय की भागीदारी शिक्षक अभिभावक परिषद्, मातृ अध्यापक परिषद् तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जायेगी। **EGS** का संचालन समुदाय द्वारा बच्चों के अभिभावकों द्वारा होगा।

5.6.3 क्रियान्वयन के चरण

* सूक्ष्म नियोजन/घर–घर सर्वेक्षण।
* योजना बनाना तथा EGS का स्थान सूक्ष्म योजना के आधार पर करना।
* अधिगम केन्द्र के लिए पानी, रोशनी व स्थान देना।
* केन्द्र का समय निर्धारण।
* प्रतिदिन की देखभाल निगरानी।
* अभिभावकों का प्रेरण।
* अध्यापक को मानदेय देना।
* शिक्षण सहायक सामग्री खरीदना।

5.6.4 स्वयं सेवी का चयन

स्वयं सेवक स्थानीय समुदाय से चयन होना। स्वयं सेवक 18 वर्ष का व 10 वीं पास हो। कम शिक्षित महिला भी चयन हो सकती है।

5.6.5 शिक्षार्थी

ये सभी 6–14 आयु वर्ग के बालक जो विद्यालय कभी गये हो, उन विद्यालयों में औपचारिक पाठ्यक्रम ही लागू हो।

5.6.6 प्रशिक्षण

इन अध्यापकों का 30 दिन प्राथमिक विद्यालय तथा 40 दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यालय 4 घण्टे तक चलेंगे तथा उनका मसय निर्धारण करना आवश्यक करना होगा।

5.6.7 लागत

केन्द्र प्रति शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय 845/– व उच्च प्राथमिक विद्यालय 1200/– देय होगा। शिक्षा गारन्टी स्कूल खोलने के लिए ऐसे वंचित व छोटे आवासीय गांव या ढाणी आदि में घर–घर सर्वे उपरान्त 6–14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले कम से कम 25 बच्चे मौजूद हो एवं उनके निवास स्थान से 1 किलोमीटर की सीमा में कोई विद्यालय नहीं हो।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 6

गुणवत्ता

नामांकन, नियमित उपस्थिति और आनन्दायी शिक्षण के साथ–साथ शिक्षा के स्तर में वांछनीय सुधार के लिए शिक्षण में गुणात्मक उन्यन्न जरूरी है। शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक अपने विषय में पूर्ण पारंगत हैं और पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में छात्रों के साथ मेहनत करता है, तो उसका शिक्षण कार्य पूर्ण प्रभावी सिद्ध होता है। इसलिए आवश्यक हैं कि वह स्वयं नियमित रहे और छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्वति से शिक्षण कार्य करें। इससे भी ज्यादा उपर्युक्त तो यह रहेगा कि छात्रों की कक्षा शिक्षण के अधिकाधिक भागीदारी हो। उन्हें भी अपनी अभिव्यक्ति व श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर प्रदान किया जाए।

शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। इसके लिए सहायक सामग्री निर्मित की जाए व उसे शिक्षण कार्य में अधिकाधिक उपयोग में लायी जावे। बालकों को भी निर्देश देकर टी.एल.एम. निर्मित कराई जा सकती है। बालकों को नियमित गृहकार्य दिया जाये और उसकी समय पर जांच कर संशोधन कराया जाये। सुन्दर हस्तलिपि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले बालकों व श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बालकों को शाब्बासी एवं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जावे। इससे उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सकेगा और उनकी अधिगम क्षमता बढ़ेगी।

मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक वस्तुपरक व न्यायसंगत बनाया जावें जिससे ऐसा लगे कि शिक्षक ने बालकों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया है।

शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए निम्न गतिविधियों का संचालन कर विद्यालय वातावरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है –

* प्रार्थना सभा का प्रभावी संचालन।
* अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास।
* शिक्षकों द्वारा उदबोधन।
* स्वच्छता।
* खेलकूद।
* दल व्यवस्था।
* बाल सभा।

* हिन्दी भाषा का प्रयोग।
* बालकों को नाम से सम्बोधन।
* बालकों में वैज्ञानिक सोच का विकास।
* अध्यापक/प्रधानाध्यापक बैठक।
* खण्ड स्त्रोत दल/संकुल स्त्रोत दल की बैठकें।
* विद्यालय अवलोकन।
* टी.एल.एम. कार्यशाला।

6.1 विद्यालय अनुदान राशि

गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जायेगा। जिससे विद्यालय में आवश्यक सुविधा जुटाने में मद्द मिल सकें। इसके लिए 2000 रूपये प्रति विद्यालय अनुदान राशि का प्रावधान है।

6.2 टी.एल.एम.

कक्षा–कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 500 रूपये प्रति वर्ष प्रति अध्यापक दिये जायेंगे। जिससे टी.एल.एम. निर्माण हो सकें एवं शिक्षण प्रभावी हो सके।

6.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में है। वर्तमान में समस्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बालक–बालिकाओं के लिए यह प्रावधान हैं तथा कक्षा **VI** से **VIII** की केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है।

6.4 पुस्तकालय अनुदान

विद्यालय में पुस्तकालयों का विशेष महत्व है। प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं को बालगीत, कविता, कहानियां तथा उनके अनुरूप सामान्य ज्ञान आदि की पुस्तकें साथ ही अध्यापकों को भी उनके विषय से सम्बन्धित संदर्भ पुस्तकें पुस्तकालय अनुदान द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

6.5 प्रशिक्षण

गुणवत्ता युक्त शिक्षण हेतु शिक्षकों को विशेष रूप से आनन्ददायी शिक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जो निम्नानुसार होगा –

* गतिविधि आधारित प्रशिक्षण।
* बाल केन्द्रित शिक्षक प्रशिक्षण।
* शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
* बहुवर्ग एवं बहु कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण।
* अनुपयोगी वस्तुओं से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
* शिक्षण समस्याओं का निवारण हेतु प्रशिक्षण।
* टी.एल.एम. से सम्बन्धित प्रयोग की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।
* सामुदायिक गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण।
* जेण्डर संवेदनशीलता हेतु प्रशिक्षण।
* विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं विकास हेतु प्रशिक्षण।
* शिक्षण में हो रहे नवाचारों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ये प्रशिक्षण निम्न प्रकार के होंगे –

* 9 दिवसीय अभिमुखीकरण सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
* 6 दिवसीय विषय वस्तु आधारित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
* 30 दिवसीय पैरा टीचर आधारभूत प्रशिक्षण।
* 60 दिवसीय अप्रशिक्षित पैरा टीचर हेतु प्रशिक्षण।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 7

विशिष्ट फोकस समूह एवं नवाचार

7.1 भूमिका

जालोर जिले में कुछ जातियों, समूहों एवं वर्गों को देखे तो इनमें से अधिकांश प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। जिनमें मुख्यतः गाडिया लौहार, कालबेलिया नाथ, जोगी, रबारी,, बालदीया भाट एवं चरवाहे आदि है। चूंकि ये जातियां अपनी आजीविका एवं व्यवसाय के कारण एक स्थान पर नहीं रहती है एवं पलायन करती रहती है। यह समूह हार्डकोर समूह में आते है। सर्व शिक्षा अभियान में इन समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना हैं। ताकि इनकी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो सकें जिससे ये शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाये।

7.2 विशिष्ट फोकस समूह की समस्याएं

* घुमन्तु जीवन शैली।
* कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन।
* माता–पिता की समझ का अभाव।
* जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव।
* उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव।
* पलायन करने वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधा का अभाव।

7.3 शिक्षा से वंचित शहरी बच्चों की समस्याएं

* पॉलिथिन, कागज, गत्थे, चिथड़े आदि उठाने वाले बच्चों की शिक्षा।
* होटलों, ग्रेनाईट फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले बच्चों की शिक्षा।
* गृह कार्य में कार्यरत बच्चों की शिक्षा।
* चाय की दुकानों पर कार्यरत बच्चों की शिक्षा।
* कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों की समस्याएं।
* अन्य रोजगारों में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों की समस्याएं।

7.4 जेण्डर संवेदनशीलता

शिक्षा के क्षेत्र में जेण्डर संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत –

* जेण्डर संवेदनशीलता की अवधारणा को स्पष्ट करना।
* जेण्डर के सम्बन्ध में जानकारी देना।
* जेण्डर के प्रति संवेदनशील बनाना।
* शिक्षा के जेण्डर के महत्व।

7.5 आवासीय शिक्षण शिविर

जिले में कुछ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, कच्ची बस्तियों एवं कामकाजी मजदूरों के बच्चे अथक प्रयासों के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे है। उनकी अपनी परिस्थितियां है। सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय शिक्षण शिविर के सम्बन्ध में सोचा गया है। इसके अन्तर्गत वो बालक–बालिकाएं परिस्थितियोंवंश नियमित विद्यालय से अथवा समग्र सुविधा युक्त विद्यालयों से नहीं जुड़ पा रहे है। उनके लिए 7 माह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम होगा। इनमें घुमन्तु, कमजोर आर्थिक स्थिति एवं अत्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं को विशेष लाभ पहुंचेगा। इन शिविर को पूर्ण करने की बाद ये बालक–बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जायेंगे। इसके लिए जिले में 105 आवासीय बालिका शिक्षण शिविर का प्रावधान रखा गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं –

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–010	योग
संख्या	7	14	14	14	14	14	14	14	105

7.6 नवाचार

7.6.1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान मिशन की भावना के अनुरूप चलाया जाना हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्षेत्र की फोकस ग्रुप एवं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक गतिविधियों के लिए नवाचार आवश्यक गतिविधि हैं। जालोर जिले में क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नवाचार के तहत निम्न गतिविधियां चलायी जानी प्रस्तावित हैं।

7.6.2 बालिका शिक्षा

जालोर जिले में वर्तमान में बालिका शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 आवासीय बालिका शिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं। इन शिविरों में 9–14 आयु वर्ग की वर्तमान में 334 बालिकाऐं अध्ययन प्राप्त कर रही हैं। जो शिक्षा से अभी तक भी नहीं जुड़ पायी थी या जिन्होनें कक्षा 1, 2 पढ़ कर के पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। इन शिविरों के द्वारा 7 माह में कक्षा 5 वीं पास करायीं जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा सभी को उपलब्ध हो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभिनव कियाकलाप के रूप में 1 से 5 वीं एवं 6 से 8 वीं तक की पढ़ाई पूर्ण करने हेतु बालिकाओं के लिए 7 माह के आवासीय बालिका शिक्षण शिविर लगाये जायेगें। जिनमें कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूर्ण करवायी जायेगी, साथ ही बालिकाओं से सम्बन्धित कियाकलाप, कौशल वृद्वि, स्वास्थ्य, हुनर आदि की शिक्षा भी दी जायेगी। जिससे कि बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं भावी पीढ़ी को आदर्श बनाने की भावना जागृत हो सकेगी। क्योकि ये बालिकाऐं 9–14 आयु वर्ग की होगीं और आगे जाकर मातृत्व का पालन करेगी।

7.6.3 प्रवेशोत्सव एवं प्रकाशोत्सव

सर्व शिक्षा का कार्य अपने आप में एक अभियान हैं। अतः अभियान बिना जन भागीदारी के अधूरा हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रवेशोत्सव जालोर जिले के प्रत्येक विद्यालय में मनाया जायेगा। जिसके तहत योजनाबद्व तरीके से वंचित बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। इस कार्यकम में जन भागीदारी महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में मानी गयी हैं। अतः अनेक कार्यकम जुलाई माह में आयोजित किया जाना अभियान के तहत कार्ययोजना में लिया गया हैं।

सर्वेक्षण कार्य में अनुश्रवण के दौरान यह सुनिश्चित हो जाने पर कि प्रत्येक वासस्थान जहां पर विद्यालय हैं एवं प्रत्येक बालक–बालिका विद्यालय से जुड़ गया हैं, वहां जन सहभागिता से प्रकाशोत्सव मनाया जायेगा। उस गांव के लिए विकास के कार्य जो कि विकास विभाग के द्वारा करवाये जाते हैं, को विशष सुविधाऐं प्रदान करने के प्रयास मिशन के दौरान अतिरिक्त कार्यो के रूप में किये जायेगें।

7.6.4 उपचारात्मक शिक्षण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। प्रत्येक बालक–बालिका को गुणात्मक शिक्षा मिले इसके लिए ग्रीष्मावकाश में बौद्धिक कमजोर बालक–बालिकाओं को उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। उपलब्धि स्तर के निर्धारण के उपरान्त कमजोर बालक–बालिकाऐं सभी बालकों के समान पहुँच पायें और सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण नवाचार के रूप में लिया जायेगा। इसके लिए जन सहभागिता हेतु वासस्थान के पढ़े लिखे नवयुवकों, सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं शिक्षा में रूचि रखने वाले ग्रामवासियों को शामिल किया जायेगा।

7.6.5 अल्पसख्यंकों की शिक्षा

जालोर जिले में विकास खण्ड भीनमाल, सायला एवं जालोर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बाहुल्य हैं। इस समाज के लोगों द्वारा भी अपने बालक–बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हैं। अतः समाज के लोगों के साथ बैठके आयोजित करके *'दीन के साथ दुनिया* की शिक्षा भी वर्तमान में अति आवश्यक हैं, समझाई जायेगी। अल्पसंख्यक समाज में मजदूर वर्ग अधिक हैं, अतः इनके बालक–बालिका भी इनके कार्यो में हाथ बटांते हैं। इस समाज के लोग अपने बालक–बलिकाओं को दीन की शिक्षा मदरसे में जाकर प्राप्त करते हैं, किन्तु दुनिया की शिक्षा हेतु बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। अतः नवाचार के रूप में तरह के मदरसों को चिन्हित करके दोनों प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चे शिक्षा से जुड़े के लिए इस प्रयास के बिना यह अभियान अधूरा होगा।

7.6.6 आदर्श विद्यालय की स्थापना

विद्यालय आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। प्रत्येक आकर्षक विद्यालय में से भी संकुलवार कुछ विद्यालयों का चुनाव करके आदर्श विद्यालय के रूप में चलाये जायेगें। इन विद्यालयों में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाऐं मुहैया हो और विद्यालय का परिसर आकर्षक एवं जन सहभागिता का केन्द्र बने इसके लिए गांव वालों के साथ नियोजन करके विद्यालय में जन सहभागिता में भामाशाहों को आगे लाना होगा।

इन आदर्श विद्यालयों में सभी तरह की भौतिक सुविधाऐं बालक–बालिकाओं के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री, पुस्तकालय, अधिगम कक्षाकक्ष पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर एवं कक्षाकक्ष की व्यवस्था अभियान एवं जन सहभागिता द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें। आदर्श विद्यालय के लिए यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि गांव का 6–14 आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा गुणवत्ता आधारित शिक्षा पूरी करें। इसके लिए पूरे जिले में कुल 35 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।

7.6.7 स्कूली एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

बालिका शिक्षा की दर इस जिले में कम होने की वजह से शैक्षिक माहौल बनाने हेतु स्कूली एवं अनौपचारिक विद्यालय की बालिकाएं और शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए कार्यशालाऐं आयोजित की जायेगीं। जिनमें बालिकाओं को शैक्षिक महत्ता, कौशल, गृहकार्य में दक्षता, घर की साज–सज्जा के कार्य आदि के साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों से भी जोड़ा जायेगा। जालोर जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में पांच–पांच कार्यशाला आयोजित करवाये जाने का प्रावधान रखा गया हैं।

7.6.8 अंशकालीन छात्रावास

बच्चों के माता–पिता के साथ रोजगार पर पलायन को रोकने हेतु विकास खण्ड सांचौर में अंशकालीन छात्रावास शुरू किये गये है। ये छात्रावास 4 माह की अवधि के लिए चलाये जाते है। जिनमें लकड़ी, कपड़े और बर्तन की व्यवस्था जन समुदाय द्वारा की जाती हैं तथा भोजन की व्यवस्था परियोजना द्वारा की जाती है। जिले में वर्तमान में 3 छात्रावास सांचौर विकास खण्ड में जोरादर, सांकरिया एवं कुकड़िया में संचालित है। जहां पर 103 बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है।

7.6.9 विकलांग बालक–बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा

विकलांग बालक–बालिकाएं मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षा की मुख्य धारा से अपनी शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप नहीं जुड़ पाते है। यह विकलांगता विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे– शारीरिक, इस तरह की विकलांगता में पोलियो हाथ–पैर, शारीरिक विकृति (कुबड़) सुरजमुखी आंख, कान (गूंगे, बहरे) मानसिक विकलांगता से सेरीब्रल पॉलिसी, मानसिक मन्दता इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं होता है। ऐसे बालक–बालिकाओं हेतु उनके गांव के विद्यालयों में ही अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षित कर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की व्यवस्था करना तथा ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना। विद्यालय भवन में भी उनके आने–जाने हेतु विशेष निर्माण (रैम्पस् इत्यादि) की व्यवस्था करना।

7.6.10 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा

जालोर जिले की पिछड़ी जातियों में मेघवाल, हरिजन, भील, मीणा एवं अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है। इनमें विशेष कर बालिकाओं की संख्या अधिक है। क्योंकि ये वर्ग मजदूरी या छोटा–बड़ा कार्य कर अपना जीवन यापन करते है। साथ ही इस वर्ग के लोग अपना पैतृक व्यवसाय भी करते है। ऐसे वर्ग के बच्चों को आवासीय शिविर के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन वर्गों के बच्चों को शैक्षिक विकास पर सर्व शिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अन्तर्गत इन समुदाय के शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन वर्ग के बच्चों का सुक्ष्म नियोजन कर इनमें प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

इसके लिए निम्न प्रयास होंगे –

* सुविधा के विभिन्न संगठनों की सहायता लेकर।
* आवश्यकता के अनुरूप विशेष शिक्षण व्यवस्था।
* विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न समितियों में इन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
* विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
* शैक्षिक सुविधा रहित वास स्थानों पर वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था करना।
* समुदाय के शिक्षकों की नियुक्ति।
* बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का नियमित अनुश्रवण करना।

7.6.11 घुमन्तु परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा

घुमन्तु परिवारों में गाड़लिया लौहार, नट, जोगी, बालदिया भाट कालबेलिया इत्यादि वर्गों में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव है। ऐसे परिवार के बच्चे अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविकोपार्जन हेतु घुमते रहते है। इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं एक स्थान पर नहीं रहने के कारण शिक्षा से वंचित है। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास किये गये है।

7.6.12 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा

इस समूह के बच्चे विभिन्न प्रकार के मजदूरी कार्य कर परिवार की आय में वृद्धि में सहयोग करते है। ये बच्चे सुबह से ही अपने काम पर चले जाते है एवं देर शाम तक कार्य करते है। कुछ बच्चे जानवरों को चराने का कार्य करते है। साथ ही कुछ बच्चे विशेषतः बालिकाएं घरेलू कार्य में सहयोग करने के कारण शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं। इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं अधिक समय तक कार्य करने के कारण उन्हें संतुलित आहार नहीं मिलने पर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते है। ऐसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास किये गये है।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 8

अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

शिक्षा जगत में 'क्वालिटी एज्युकेशन' के लिए निरन्तर नवीन नवाचारों का अनुसंधान किया जा रहा है। इन अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त विषयवस्तु के मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' में 'क्वालिटी एज्यूकेशन' पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास,अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन एवं मोनिटरिंग विशेष रूप से आवश्यक है। इस प्रयास में कम्यूनिटी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रक्रिया से सम्बन्धित दूसरी विशेषताओं में सामाजिक नेतृत्व एवं समूहों की भी मॉनिटरिंग में विशेष आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सीख उपलब्धि (लर्निंग अचीवमेंट) एवं प्रगति की जानकारी हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर तीन वर्ष में 'सामयिक पर्यवेक्षण' का प्रबन्ध किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 'रिसर्च ग्रुप्स' का गठन किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक एवं संकुलों पर गठित संदर्भ समूह सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा।

गुणवत्ता से सम्बन्धित इन्टरवेन्सिंस की नीति, आयोजना, क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा। इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना है।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान में अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया हैं जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं क्रमान्तर्गत अधिगम की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सकता है।

8.1 प्रबोधन (M.I.S.)

8.1.1 भूमिका

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रबंधन हेतु एक मजबूत और उत्तरदायी प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है। प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर '*सर्व शिक्षा अभियान* 'के तहत प्रबोधन (M.I.S.) हेतु तीन मुख्य कार्यक्रमों को सम्पादित किया जायेगा।

* शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त (EMIS)
* योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र (PMIS)
* वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र (FMIS)

8.1.2 प्रबोधन के उद्देश्य

* प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेषण करना।
* नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।
* विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की परिलब्धियां एवं उपलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनों पर विशेष ध्यान देना।
* सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करना।

8.2 शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तन्त्र (EMIS)

जिला स्तर पर ई.एम.आई.एस. के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना NIPA द्वारा निर्धारित DISE, 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेगी। गांव की सूचनाएं हर 3 वर्ष बाद एवं विद्यालय की सूचनाएं प्रत्येक वर्ष एकत्रित की जायेगी। ये सूचनाएं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी (M.I.S.) द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

8.2.1 ई.एम.आई.एस. (E.M.I.S.) के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं

* 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को नामवार नामांकित करना।
* अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना।
* अध्यापकों की जानकारी देना।
* छात्रों की विभिन्न विषयों में विशेष कार्यों एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना।
* नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना।
* विद्यालय–छात्र अनुपात, कक्षाकक्ष–छात्र अनुपात एवं शिक्षक–छात्र अनुपात ज्ञात करनां
* विभिन्न प्रभार में प्रगति की जानकारी योजना के अनुसार ज्ञात करना।
* सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आंकड़ों का विश्लेषण करना।
* समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना, जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें।

8.3 योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र (PMIS)

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र

(च्डैप्) के द्वारा समस्त सूचनाएं समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी। योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रभार के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में पी.एम.आई.एस. के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके क्रियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु पी.एम.आई.एस. के द्वारा समस्त सूचनाएं एक साथ प्राप्त की जा सकेगी।

8.4 वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (FMIS)

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दा है। इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (थ्डै) के द्वारा जिला स्तर पर वित्त सम्बन्धी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।

वित्त प्रबन्धन हेतु विभिन्न रिपोर्टस् जैसे – कैश बुक, लैजर, कोषप्रवाह, चैक इश्यू, ट्राइल बैंलेंस् इत्यादि समस्त जानकारियां एक साथ एक ही जगह प्राप्त की जा सकती है। अतः वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (FMIS) वित्त प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ़ सूचना तंत्र है।

8.5 प्रबोधन कार्मिक (M.I.S. Staff)

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर लोक जुम्बिश मे कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारी एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य संचालन हेतु आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे। जो विकास खण्ड स्तर की गतिविधियों का डाटा एन्ट्री का कार्य करेंगे।

– ❖❖❖ –

अध्याय – 9

प्रबन्धन एवं क्षमता विकास

9.1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वजनीकरण की दशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आज की परिस्थितियों में भी दूर–दराज के कठिन क्षेत्रों में कार्य को गति प्रदान करने एवं शिक्षा के लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ प्रबन्धन एवं प्रबोधन की अति आवश्यकता है। इसके अभाव में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य असंभव एवं दुरूह होने के साथ–साथ स्वप्निल बन कर रह जायेगा। ऐसी स्थिति से दृढ़ता एवं मजबूती से निबटने के लिए जिला स्तर पर प्रबंधन एवं प्रबोधन की महत्ती आवश्यकता है।

9.2 जिला स्तर पर प्रबंधन

जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्वयन हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है।

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1	जिला परियोजना समन्वयक	1
2	सहायक परियोजना समन्वयक	4
3	सहायक लेखाधिकारी	1
4	एम.आई.एस. प्रभारी	1
5	लेखाकार	1
6	वरिष्ठ लिपिक	1
7	कार्यालय सहायक	4
8	सहायक कर्मचारी	3

प्रत्येक सहायक परियोजना समन्वयक के प्रभार निम्नानुसार होंगे –

1. औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
2. वैकल्पिक शिक्षा एवं शिक्षा गारन्टी योजना।
3. परिचालन, जेण्डर, विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
4. भवन निर्माण।

क्रमांक 2 से 3 में से 1 महिला अधिकारी होगी।

कम्प्यूटर कार्य निष्पादन हेतु 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएगी।

9.3 विभिन्न स्तरों पर समन्वयन

जिले में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबन्धन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) के निहित है। इनके अधीन जिला मुख्यालय पर अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य स्टाफ कार्यरत है।

जिला परियोजना कार्यालय में जिला परियोजना समन्वयक व अन्य स्टाफ कार्यरत है। ब्लॉक स्तर पर परियोजना अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.) का कार्यालय स्थित है। संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी का पद सृजित है।

शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मॉनिरटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) में निहित है। वहीं उसे मजबूती प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण एवं आनन्ददायी शिक्षा जिला परियोजना समन्वयक का गुरूत्तर दायित्व है।

विभिन्न स्तरों पर समन्वयन

शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	जिला परियोजना समन्वयक
एवं	एवं
स्टाफ	स्टाफ
↓	↓
अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	परियोजना अधिकारी
एवं	एवं
स्टाफ	स्टाफ
↓	↓
विद्यालय	सकुल प्रभारी
	एवं
	स्टाफ
	↓
	विद्यालय

- उक्त वर्णित तालिका प्रदर्शित करती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोग से ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को शत–प्रतिशत हासिल किया जा सकता है। दोनों कार्यालयों में आपसी तालमेल का होना नितांत आवश्यक एवं समय की मांग है। जिस प्रकार एक गाड़ी के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण दोनों पहियों पर निर्भर करता हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति उक्त कार्यालयों में शिक्षा के लक्ष्यों को अर्जित करने की दशा में होनी चाहिये।
- उक्त तालिका यह भी दर्शाती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान दोनों की एक ही लक्ष्य : अन्तिम सीढ़ी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का नामांकन, ठहराव, क्षमताओं का विकास एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गों को जोडना है।

अतः विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षा के सार्वजनीकरण , आंकड़ों के सही एवं वैद्य एकत्रीकरण हेतु दोनों का समन्वय आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान दोनों के बेहतर तालमेल का पक्षधर हैं जिससे लक्ष्य हासिल किया जाकर समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकें।

9.3.1 जिलाशाषी परिषद् (डी.जी.सी.)

जिले में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जिलाशाषी परिषद् जिला परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित विभिन्न मामलों की प्रगति एवं नीतिगत मामलों की देखभाल करेगी। इसकी बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। इस समिति में जनप्रतिनिधि विभिन्न विभागों के सदस्य, शिक्षाविद्, गैर–सरकारी, संगठनों के प्रतिनिधि सहित शिक्षक संघ प्रतिनिधि होंगे। जिला परियोजना समन्वयक शाषी परिषद् का सदस्य सचिव होगा। शाषी परिषद् का गठन निम्नानुसार किया जायेगा –

जिलाशाषी परिषद् के सदस्य

❖ जिला प्रमुख	अध्यक्ष
❖ जिला कलेक्टर	उपाध्यक्ष
❖ सांसद	सदस्य
❖ विधायक (समस्त विधान सभा क्षेत्र)	सदस्य
❖ प्रधान (समस्त)	सदस्य
❖ अतिरिक्त जिला क्लेक्टर (विकास)	सदस्य
❖ अतिरिक्त जिला क्लेक्टर (प्रशासन)	सदस्य
❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
❖ प्रार्चाय (डाइट)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
❖ सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖ अधिशाषी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖ अधिशाषी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
❖ समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖ जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
❖ परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖ विकास अधिकारी (समस्त)	सदस्य
❖ अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖ परियोजना अधिकारी (समस्त)	सदस्य
❖ शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
❖ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
❖ शिक्षक संघ प्रतिनिधि	सदस्य
❖ सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि.)	सदस्य
❖ जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.3.2 जिला निष्पादन समिति

जिला निष्पादन समिति में विभिन्न विभागों के सदस्य होंगे तथा समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर का होगा। इसकी बैठक त्रैमासिक होगी तथा समिति जिला योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेगी।

ज़िला निष्पादन समिति के सदस्य

❖	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
❖	अतिरिक्त जिला क्लेक्टर (विकास)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
❖	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
❖	प्रार्चाय (डाइट)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖	अधिशाषी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖	जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
❖	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	शिक्षाविद् (दो नामित)	सदस्य
❖	सहायता प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
❖	अध्यापक संगठन प्रतिनिधि	सदस्य
❖	अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.3.3 जिला संदर्भ समूह

जिला स्तर पर जिला संदर्भ समूह का गठन किया जाएगा जो सर्व शिक्षा अभियान को रचनात्मक सुझाव एवं सहायता उपलब्ध करायेगा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

➢ जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य यथा – ब्रुसर्स, फोल्डर्स तथा पोस्टर्स का आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना एवं सुझाव देना।

- विभिन्न कम्पोनेट के अनुसार नवाचार कार्यक्रम (इन्नोवेटिव प्रोग्राम्स) सुझाना।
- गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों तथा सर्व शिक्षा अभियान के मध्य बेहतर तालमेल का परीक्षण करना।
- अनुवर्तन कार्यक्रम (फोलोअप प्रोग्राम) अमल में लाना।

जिला संदर्भ समूह के सदस्य

❖ प्रधानाचार्य डाइट	संयोजक
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖ जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	सदस्य
❖ जिला परियाजना समन्वयक	सदस्य
❖ गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
❖ समाचार संवाददाता (दो)	सदस्य
❖ शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
❖ महिला प्रतिनिधि (शिक्षा विभाग)	सदस्य
❖ पेडागॉडी / ट्रेनिंग / ए.एस. / जेण्डर एवं ई.सी.ई (दो प्रतिनिधि)	सदस्य
❖ सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारी	सदस्य सचिव

9.3.4 खण्ड स्तर पर प्रबंधन –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जालोर जिले के 7 विकास खण्डों पर कार्यालय होंगे। जो कि कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, शैक्षिक योजनाएं एवं सहयोग, निरीक्षण तथा प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगा।

अभियान की क्रियान्विति हेतु स्टाफ की आवश्यक निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है –

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1	परियोजना अधिकारी	1
2	सहायक परियोजना अधिकारी	4
3	कनिष्ठ लेखाकार	1
4	कनिष्ठ लिपिक	1
5	सहायक कर्मचारी	1

प्रत्येक सहायक परियोजना अधिकारी के प्रभार निम्नानुसार होंगे –

1. औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
2. वैकल्पिक शिक्षा एवं शिक्षा गारन्टी योजना।
3. परिचालन, जेण्डर, विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
4. भवन निर्माण।

क्रमांक 1 से 3 में से 1 महिला अधिकारी होगी।

कम्प्यूटर कार्य निष्पादन हेतु 1 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएगी।

विकास खण्ड के कार्य

* विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
* संकुल कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजन करना।
* टी.एल.एम. का निर्माण करवाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
* ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति के साथ बैठकें आयोजित करना।
* वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षा सहयोगियों/पैराटीचर्स तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
* मूल्यांकन एवं प्रगति रिकॉर्ड रखना।
* विकलांग बच्चों की पहचान एवं शिक्षण व्यवस्था करना।
* मासिक मीटिंग और प्रशिक्षणों के माध्यम से संकुल केन्द्र प्रभारी को सहयोग और सुविधा उपलब्ध करवाना।
* शैक्षिक प्रबंध सूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करना।

9.3.5 खण्ड शिक्षा समिति

खण्ड शिक्षा समिति विकास खण्ड कार्यालय एवं ब्लॉक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेगी तथा खण्ड के दूर–दराज स्थानों पर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में योगदान प्रदान करेगी।

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

❖ प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
❖ अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
❖ जिला परिषद् सदस्य (एक पुरूष, एक महिला)	सदस्य
❖ पंचायत समिति सदस्य(एक पुरूष, एक महिला)	सदस्य
❖ सरपंच (एक पुरूष, एक महिला)	सदस्य
❖ शिक्षाविद् (दो)	सदस्य
❖ अल्प संख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
❖ प्रधानाचार्य उ.मा.वि.	सदस्य
❖ प्रधानाध्यापक, उ.प्रा.वि.	सदस्य
❖ परियोजना अधिकारी, बाल विकास	सदस्य
❖ चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
❖ प्रचेता	सदस्य
❖ शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
❖ परियोजना अधिकारी (विकास खण्ड)	सदस्य सचिव

9.3.6 संकुल स्तर पर प्रबंधन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जालोर जिले के 7 विकास खण्डों में 36 संकुल कार्यालय होंगे। इन संकुल केन्द्रों पर शैक्षिक मजबूती प्रदान करने हेतु संकुल प्रभारी एवं संकुल सहयोगी का पद सृजित किया गया है। इन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक मीटिंग, विद्यालय प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण, भवन निर्माण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक संकुल में अभियान की क्रियान्विति हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है –

1. संकुल प्रभारी – शैक्षिक प्रभार (औपचारिक विद्यालय)
2. संकुल सहयोगी – परिचालन, जेण्डर, विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा।

उपरोक्त दोनों कार्मिकों में से एक महिला का होना आवश्यक है।

संकुल के कार्य

- विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहायता से नामांकन ठहराव और गुणवत्ता की स्थिति में सुधार लाना।
- मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों को सहयोग और सुविधाओं पर विचार एवं मनन करना।
- विभिन्न ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी।
- पंचायती राज संस्थाओं, भवन निर्माण समिति एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को मजबूती प्रदान करना।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के लिए सुक्ष्म नियोजन एवं शाला मानचित्रण का प्रशिक्षण आयोजित करना।

9.3.7 संकुल संदर्भ समूह

शैक्षणिक व्यवस्था के उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्दायी प्रशिक्षण की व्यवस्था को सहयोग प्रदान करने हेतु संकुल स्तर पर संकुल संदर्भ समूह का गठन किया गया है। जिसमें संकुल परिधि के विभिन्न विषयों यथा – विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण आदि के विशेषज्ञ चयनित किये गये है। यह समूह मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रेरण का कार्य करेगा। संकुल कार्मिक संकुल संदर्भ समूह के सुझावों पर अमल कर क्रियान्विति करेगा।

9.3.8 विद्यालय प्रबन्धन समिति

विद्यालय प्रबन्धन समिति गांव के विद्यालयों में निर्माण कार्यों की देखभाल एवं विद्यालय का निरीक्षण कर उन्हें सहयोग प्रदान करेगी। इस समिति को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह समिति जिले के भीतर अन्य स्थानों का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य

- विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से भवन निर्माण समिति का गठन करना।
- अधिकतम नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- औपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालयों/केन्द्रों की देखरेख करना।
- बाल मेला, कला जत्था तथा महिला मीटिंगों का आयोजन करना।
- विद्यालय का प्रभावी निरीक्षण एवं समय पालन सुनिश्चित करना।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य

सरपंच/वार्ड पंच	अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिनिधि	सदस्य
अल्प संख्यक/ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य
सेवा निवृत शिक्षक/कार्मिक	सदस्य
अभिभावक (पुरूष)	सदस्य
अभिभावक (महिला)	सदस्य
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
सक्रिय ग्रामवासी (दो)	सदस्य
महिलाएं (दो)	सदस्य
प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय)	सदस्य सचिव

9.3.9 भवन निर्माण समिति

विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं गांवाई समितियों के सदस्यों में से भवन निर्माण समिति का गठन किया जायेगा। जो निर्माण सम्बन्धि कार्यों की देखभाल करेगा। इस समिति को संकुल स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सदस्य गण

❖	गांव का सक्रिय, सेवाभावी एवं योग्य व्यक्ति	अध्यक्ष
❖	सेवानिवृत शिक्षक / कार्मिक	सदस्य
❖	अभिभावक पुरूष	सदस्य
❖	अभिभावक महिला	सदस्य
❖	प्रेरक दल सक्रिय सदस्य पुरूष	सदस्य
❖	महिला समूह की सक्रिय सदस्य	सदस्य
❖	प्रधानाध्यापक / अध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय)	सदस्य सचिव

– ❖❖❖ –

अध्याय – 10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका

विद्यालय स्तर पर रूचिकर एवं आनंददायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त मात्रा में आधारभूत भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण एवं परिवेश इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो कि लर्नर स्वतः ही विद्यालय की और आकर्षित हो, तभी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सार्वजनीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता हैं। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे – विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय/मूत्रालय/पेयजल सुविधा/चारदिवारी/फिसलन पट्टी/ झूले के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गई हैं।

10.2 नये विद्यालय भवन

6–14 आयुवर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को विद्यालय भवन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालय विहीन 72 विद्यालय बनवाना प्रस्तावित हैं। नये विद्यालय भवन में 2 कक्षा कक्षों के अतिरिक्त बरामदा बनवाने का भी प्रावधान हैं। 2 कक्षा कक्ष मय बरामदा बनवाने हेतु 2.56 लाख रूपये की लागत से नया भवन बनवाना प्रस्तावित हैं।

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा बनवाने हेतु 3.91 लाख रूपये की लागत से नया भवन बनवाना प्रस्तावित हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी।

नये विद्यालय भवन

10.2.1 दो कक्षा कक्ष मय बरामदा (लागत 2.85 लाख रूपये प्रति)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	10	15	15	32	72
लागत	2.56	2.56	2.56	2.56	184.320 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 72 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा। जिस पर 184.320 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.2.2 तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा (लागत–3.91 लाख रूपये)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	20	15	32	56	123
लागत	3.60	3.60	3.60	3.60	442.8 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 123 क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर नवीन निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 442.8 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया हैं।

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को शिक्षण व्यवस्था हेतु एक कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाने का प्रावधान हैं। इस कार्य हेतु लोक जुम्बिश परियोजना एवं जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय के आधार पर 1000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता हैं। यह कक्षा कक्ष छात्रों को शिक्षण व्यवस्था हेतु न्यूनतम जगह उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्प हैं। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये निर्धारित हैं। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का दायित्व विद्यालय प्रबन्ध समिति को होगा। साथ ही विद्यालयों में 100 प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण करवाने का प्रावधान है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष – (लागत 1.20 लाख रूपये)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	100	200	300	400	1000
लागत	1.2	1.2	1.2	1.2	1200 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 1200 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

प्रधानाध्यापक कक्षा कक्ष – (लागत 0.50 लाख रूपये)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	20	30	30	20	100
लागत	0.50	0.50	0.50	0.50	50 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 100 प्रधानाध्यापक कक्षा–कक्षों का निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 50 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.4 शौचालय निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान हैं। इस कार्य हेतु लोक जुम्बिश परियोजना जालोर द्वारा करवाए गये डाईस 2001 सर्वेक्षण के अनुसार 600 शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता हैं। यह शौचालय छात्रों को विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक हैं। शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय 10,000/– निर्धारित हैं। शौचालय निर्माण का दायित्व भी विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा।

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	100	150	150	200	600
लागत	10000	10000	10000	10000	60 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 600 शौचालयों के निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 60 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.5 पीने के पानी की सुविधा

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6–14 आयुवर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान हैं। इस हेतु शहरी क्षेत्र में पी. एच.ई.डी. कनेक्शन द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे स्थानों पर जहां पेयजल की अत्यधिक कमी हैं, वहां बरसाती पानी के एकत्रीकरण हेतु टांका निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाऐगी। जालोर जिले के समस्त ब्लॉकों के विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता हैं। पी.एच.ई. डी. द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाऐ जाने हेतु 20,000/–रू. का प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप व्यवस्था एवं टांका निर्माण हेतु 50,000/–रू. उपलब्ध करवाने का प्रावधान हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी।

पेयजल सुविधा

10.5.1 हैण्डपंप/टांका निर्माण द्वारा पेयजल सुविधा (लागत 50,000/–)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	30	40	40	30	140
लागत	50000	50000	50000	50000	70.00 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 140 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा हैण्डपम्प/टांके निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 70 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.5.2 पी.एच.ई.डी. द्वारा पेयजल सुविधा (लागत–20,000/–)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	5	10	10	10	35
लागत	20000	20000	20000	20000	7 लाख

रूत्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 35 विद्यालयों में पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 7 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.6 रैम्प निर्माण

शिक्षा क्षेत्र में शत् प्रतिशत उपलब्धि तभी अर्जित होगी जब 6–14 आयुवर्ग की प्रत्येक बालक–बालिकाऐं शिक्षा से जुड़े होंगे। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बालक–बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा के रूप में आवश्यकता होने पर रैम्प (Ramp) निर्माण करवाया जायेगा। डाईस 2001 के अनुसार जालोर जिले के समस्त ब्लॉकों के विद्यालयों में रैम्प निर्माण की आवश्यकता हैं। प्रत्येक रैम्प की लागत 20,000/–रू. रखी गई हैं। यह कार्य विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा करवाया जाएगा।

रैम्प – (लागत – 20,000/–)

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	40	40	40	40	160
लागत	20000	20000	20000	20000	32 लाख

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 160 विद्यालयों में रैम्प निर्माण का प्राधवान रखा गया है। जिस पर 32 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

10.7 खण्ड एवं संकुल संदर्भ केन्द्र निर्माण

जालोर जिले में सात विकास खण्ड हैं। अतः सात खण्ड संदर्भ भवनों की आवश्यकता होगी। जिनका निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत् 42,00,000/– (ब्यांलिस लाख रूपये) की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है एवं अनुमानित 72 संकुल संदर्भ भवनों का निर्माण कार्य पर 14400000/– खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

10.8 निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं पूर्ति

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित सिविल कार्य का सारांश सारणी में निम्नानुसार प्रस्तुत है–

क.स.	विवरण	संख्या	अनुमानित राशि
1	शाला भवन (2 कमरा)	72	184.320
	शाला भवन (3 कमरे)	123	442.800
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1000	1200.00
3	प्रधानाध्यापक कक्ष	100	50.00
4	शौचालय	600	60.00
5	पीने के पानी की सुविधा हैण्डपंप / टांका	140	70.00
6	पी.एच.ई.डी.कनेक्शन	35	7.00
7	रैम्प निर्माण	160	32.00
8	संकुल केन्द्र भवन निर्माण	72	144.00
9	खण्ड परियोजना भवन निर्माण	7	42.00
10	मरम्मत काय (Minor)	126	15.75
	मरम्मत कार्य (Major)	190	47.50
11	चार दिवारी	4	200.00

स्त्रोत – शिक्षा आपके द्वार के अनुसार

– ❖❖❖ –

अध्याय – 11

लागत अनुमान

सर्व शिक्षा अभियान जिला जालोर

वर्ष 2003–2007

परियोजना में वर्ष वार सम्पादित की जाने वाली

विभिन्न गतिविधियों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न

सारणी अनुसार निर्धारित किया गया हैं।

	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	49950	422.078	51873	438.32685	46542	393.2799	40939	345.935	189304	1599.619
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**					15		32		56		103	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0.000	15	7.500	32	16.000	56	28.000	103	51.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000	15	13.500	32	28.800	56	50.400	103	92.700
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	20	24.000	20	24.000	35	42.000	67	80.400	142	170.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000	15	9.450	32	20.160	56	35.280	103	64.890
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	40	33.600	60	50.400	90	75.600	169	141.960	359	301.560
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000	200	240.000	300	360.000	400	480.000	1000	1200.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000	30	15.000	30	15.000	20	10.000	100	50.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7800	7.800	8000	8.000	8200	8.200	8400	8.400	32400	32.400
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600	15	38.400	15	38.400	32	81.920	72	184.320
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	20	72.000	15	54.000	32	115.200	56	201.600	123	442.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	150	15.000	150	15.000	200	20.000	600	60.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000	40	20.000	40	20.000	30	15.000	140	70.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	5	1.000	10	2.000	10	2.000	10	2.000	35	7.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000	40	8.000	40	8.000	40	8.000	160	32.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	3	18.000	4	24.000		0.000		0.000	7	42.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	36	72.000	36	72.000		0.000		0.000	72	144.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	6	0.750	20	2.500	40	5.000	60	7.500	126	15.750
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	10	2.500	30	7.500	60	15.000	90	22.500	190	47.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	100	25.000	200	50.000	250	62.500	600	150.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	603	30.150	699	34.950	780	39.000	917	45.850	2999	149.950
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	327	16.350	327	16.350	342	17.100	374	18.700	1370	68.500
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			96		96		169		96		457	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	96	9.600	96	9.600	169	16.900	96	9.600	457	45.700
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	96	60.480	96	60.480	169	106.470	96	60.480	457	287.910
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	96	80.640	192	161.280	361	303.240	649	545.160
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	96	17.280	96	17.280	169	30.420	96	17.280	457	82.260
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	96	19.584	96	19.584	169	34.476	361	73.644
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	96	21.888	96	21.888	192	43.776
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	96	24.192	96	24.192
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	603	12.060	699	13.980	780	15.600	917	18.340	2999	59.980
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	327	6.540	327	6.540	342	6.840	374	7.480	1370	27.400
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2343	11.715	2535	12.675	2873	14.365	3065	15.325	10816	54.080
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2725	13.625	2775	13.875	2854	14.270	3013	15.065	11367	56.835
12		**Teachers Training**												

					2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2247	31.458	2343	32.802	2512	35.168	2608	36.512	9710	135.940
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2725		2775	38.850	2854	39.956	3013	42.182	11367	120.988
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	712	29.904		0.000		0.000	712	29.904
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	96	2.016	192	4.032	361	7.581	457	9.597	1106	23.226
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2616	1.570	2616	1.570	2736	1.642	2992	1.795	10960	6.576
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1469	17.628	1469	17.628	1469	17.628	1469	17.628	5876	70.512
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	603	8.442	699	9.786	780	10.920	917	12.838	2999	41.986
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	327		327	4.578	342	4.788	374	5.236	1370	14.602
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.800	1	2.400	1	2.400	3	6.600
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080	4	6.120	4	8.160	4	8.160	14	26.520
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320	3	3.240	3	4.320	3	4.320	12	16.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.350	1	1.800	1	1.800	3	4.950
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.260	1	1.680	1	1.680	3	4.620
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.900	1	1.200	1	1.200	3	3.300
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		0.000	1	0.630	1	0.840	1	0.840	3	2.310
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600	1	0.450	1	0.600	1	0.600	4	2.250
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440	4	1.440	4	1.920	4	1.920	15	6.720
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612	3	0.689	3	0.918	3	0.918	11	3.137
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.230	1	0.306	1	0.306	3	0.842
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	7	10.290	7	13.720	7	13.720	21	37.730
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	21	22.680	21	30.240	21	30.240	63	83.160
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	7	7.560	7	10.080	7	10.080	21	27.720
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		0.000	7	5.670	7	7.560	7	7.560	21	20.790
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	7	3.150	7	4.200	7	4.200	21	11.550
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	7	2.520	7	3.360	7	3.360	21	9.240
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	7	1.607	7	2.142	7	2.142	21	5.891
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.950		0.000		0.000		0.000	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.840	7	0.840	7	0.840	7	0.840	28	3.360
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.700	7	0.700	7	0.700	7	0.700	28	2.800
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.880	7	5.880	7	5.880	7	5.880	28	23.520
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	72	64.800	72	86.400	72	86.400	216	237.600
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	7	0.875	7	0.875	7	0.875	7	0.875	28	3.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	7	0.420	7	0.420	7	0.420	7	0.420	28	1.680
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	7	0.350	7	0.350	7	0.350	7	0.350	28	1.400
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	36	3.600	36	3.600		0.000		0.000	72	7.200
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	36	0.900	72	1.800	72	1.800	72	1.800	252	6.300
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	36	0.864	72	1.728	72	1.728	72	1.728	252	6.048
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	36	0.360	72	0.720	72	0.720	72	0.720	252	2.520
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	6000	50.700	5000	42.250	4000	33.800	3000	25.350	18000	152.100
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	327	3.270	327	3.270		0.000		0.000	654	6.540
	21.2	Developing Awarness Material	Lumpsun	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	264	5.280	264	5.280	264	5.280	264	5.280	1056	21.120
		Grand Total				**1299.122**		**1818.718**		**2158.219**		**2659.828**		**7935.886**
		Total of Civil work				417.350		573.400		693.600		961.020		2645.370
		% of Civil works				32.13		31.53		32.14		36.13		33.33
		Total of Management				38.562		158.5445		204.006		204.006		605.1185
		% of Management				2.97		8.72		9.45		7.67		7.63

अध्याय – 12

योजना क्रियान्वयन

12.1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान एक सघन कार्यक्रम ही नहीं शिक्षा के सार्वजनीकरण, सबकी शिक्षा तक आसान पहुंच एवं गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्रों में एक दीर्घकालीन तथा बहुआयामी परियोजना है। ऐसी अन्य परियोजनाओं की तरह ही इस अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन की इस कार्यक्रम की सफलता होगी। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्तिति का वर्ष वार निश्चित कार्यक्रम तय किया जा रहा है।

12.2 वर्ष वार संपादित की जाने वाली गतिविधियां

सारणी के अनुसार वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक पहुंच, ठहराव, गुणवत्ता एवं विभिन्न संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन को दर्शाया गया है। जिला शासकीय समिति, जिला कार्यकारी समिति, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियों के सक्रिय सहयोग तथा जिला ब्लॉक एवं संकुल विद्यालय स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के सम्पर्णयुक्त प्रयासों से परियोजना का कार्य करणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समय पर संपादित किया जाएगा।

12.3 वर्ष 2003–04 में किए जाने वाले कायक्रम

12.3.1 परियोजना के प्रारंभिक वर्ष 2003–04 में पहुंच को आसान बनाने, सामुदायिक गतिशीलता, गुणवत्ता एवं संस्थाओं को सुदृढ़ीकरणके कार्य किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सहयोगी गतिविधि के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। चूंकि जालोर जिले में पूर्व से लोक जुम्बिश कार्यक्रम जारी हैं एवं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर विभिन्न वर्गों के पदाधिकारी भी कार्यरत है उन्हीं पदाधिकारियों के रिक्त पदों हेतु अनुमोदित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्टाफ का नियोजन किया जाने का प्रावधान है।

12.3.2 गुणवत्ता

छात्रों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी अवधारणा के आधार पर निम्न कार्य वर्ष 2003–04 में किए जाने प्रस्तावित है।

* जिले की 327 उच्च प्राथमिक स्कूलों को छात्र हितार्थ आकस्मिक/अनावर्तक व्यय हेतु प्रति विद्यालय रूपये 2000/– एस.एफ.जी. के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 6.54 लाख इस मद पर वर्ष 2003–04 में व्यय किए जायेगे।

* इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2725 शिक्षकों को रूपये 500/– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार इस गतिविधि पर रूपये 13.625 लाख व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

* जिले के वर्तमान एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 4095 शिक्षकों (विषय–वार) अर्थात छः विषयों हेतु 20 दिवसीय प्रेरण–प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस मद पर 19.180 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है।

* इसके साथ जिले के 96 नवीन अध्यापकों को 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस मद पर रूपये 2.016 लाख व्यय होने का अनुमान है।

* जिले की 603 प्राथमिक स्कूलों को छात्र हितार्थ आकस्मिक/अनावर्तक व्यय हेतु प्रति विद्यालय रूपये 2000/– एस.एफ.जी. के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 12.060 लाख इस मद पर वर्ष 2003–04 में व्यय किए जायेगे।

* इन प्राथमिक विद्यालयों के 2343 शिक्षकों को रूपये 500/– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार इस गतिविधि पर रूपये 11.715 लाख व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

12.3.3 सिविल कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में वर्ष 2003–04 के लिए प्रस्तावित सिविल कार्य का विवरण सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है–

क.स.	विवरण	संख्या	अनुमानित राशि (राशि लाखों में)
1	शाला भवन (2 कमरा)	10	25.600
	शाला भवन (3 कमरे)	20	72.00
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	180	216.00
3	प्रधानाध्यापक कक्ष	20	10.00
4	शौचालय	180	18.00
5	पीने के पानी की सुविधा हैण्डपंप / टांका	30	15.00
6	पी.एच.ई.डी.कनेक्शन	5	1.00
7	रैम्प निर्माण	40	8.00
8	संकुल केन्द्र भवन निर्माण	36	72.00
9	खण्ड परियोजना भवन निर्माण	3	18.00
10	मरम्मत कार्य (Minor)	6	0.75
	मरम्मत कार्य (Major)	10	2.50
11	चार दिवारी	1	50.00

12.3.4 प्रबन्ध सूचना तंत्र

परियोजना में प्रस्तावित समस्त प्रकार की गतिविधियों की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए प्रबन्ध सूचना तंत्र का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में रूपये 38.562 लाख व्यय किये जाने का अनुमान है। इस राशि का व्यय जिले के सुक्ष्म नियोजन, जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना प्रबन्ध तंत्र के सुदृढीकरण हेतु किया जाएगा।

12.4 वर्ष 2003–04 के लिए लागत अनुमान

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में संपादित की जाने वाली गतिविधियों एवं उन पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण सारणी में प्रस्तुत है।

Norms	S.N	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1		**Additional Teacher**						
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher						
		Ist Year	Number	0.18				
		IInd Year	Number	0.204				
		IIIrd Year	Number	0.228				
		IVth Year	Number	0.252				
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**						
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	*	*	*	*
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**				*	*	*
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5		*	*	*
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9		*	*	*
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	*	*	########	########
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63		*	*	*
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	*	*	########	########
4		**Class Room**						
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	*	*	*	*
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	*	*	*	*
5		**Free Text Book**						
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	*	*	*	*
6		**Civil Work**						
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	*	*	*	*
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	*	*	*	*
	6.3	Toilets	Number	0.1	*	*	*	*
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	*	*	*	*
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	*	*	*	*
	6.6	Ramps	Number	0.2	*	*	*	*
	6.7	Construction of BRC	Number	6	*	*		
	6.8	Construction of CRC	Number	2	*	*		
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	*	*	*	*
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	*	*	*	*
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	*	*	*	*
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	*	*	*	*
7		**Maintinance & Repairs**						
	7.1	Primary School	Number	0.05	*	*	*	*
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	*	*	*	*
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			*	*	*	*
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	*	*	*	*
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	#VALUE!	*	*	*
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		########	########	########
	8.3	Honorarium of Para Teacher						
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	*	*	*	*
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		*	*	*
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228			*	*
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252			0	*
10		**School Grant**						
	10.1	Primary School	Number	0.02	*	*	*	*
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	*	*	*	*
11		**Teachers Grant**						
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	#VALUE!	########	########	########
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	#VALUE!	########	########	########
12		**Teachers Training**						

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	#VALUE!	########	########	########
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	#VALUE!	########	########	########
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		•		
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	#VALUE!	########	########	########
14		**Training for Community Leaders**						
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	#VALUE!	########	########	########
15		**Provision for Disabled Children**						
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	•	•	•	•
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**						
	16.1	Primary School	Number	0.014	•	•	•	•
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	•	•	•	•
17		**Management Cost**						
	17.1	***District Project Office***						
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		•	•	•
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	•	•	•	•
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	•	•	•	•
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		•	•	•
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		•	•	•
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		•	•	•
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		•	•	•
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	•	•	•	•
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	•	•	•	•
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	•	•	•	•
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		•	•	•
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	•	•	•	•
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	•			
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		•	•	•
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	•			
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	•	•	•	•
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***						
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	•	•	•	•

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	#VALUE!	########	########	########
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	#VALUE!	########	########	########
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		*		
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	#VALUE!	########	########	########
14		**Training for Community Leaders**						
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	#VALUE!	########	########	########
15		**Provision for Disabled Children**						
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	*	*	*	*
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**						
	16.1	Primary School	Number	0.014	*	*	*	*
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	*	*	*	*
17		**Management Cost**						
	17.1	***District Project Office***						
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		*	*	*
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	*	*	*	*
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	*	*	*	*
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)	Number	1.8		*	*	*
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		*	*	*
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		*	*	*
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		*	*	*
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	*	*	*	*
	17.1.9	Computer Operators on Contruct (4)	Number	0.48	*	*	*	*
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	*	*	*	*
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		*	*	*
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	*	*	*	*
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	*			
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		*	*	*
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	*			
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	*	*	*	*
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***						
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	*	*	*	*

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	•			
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	•	•	•	•
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	•	•	•	•
	17.3	***BRCF Office***						
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		•	•	•
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		•	•	•
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		•	•	•
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		•	•	•
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		•	•	•
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		•	•	•
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		•	•	•
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***						
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	•			
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	•	•	•	•
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	•	•	•	•
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	•	•	•	•
	17.5	***CRCF Office***						
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		•	•	•
18		**Innovation**	Districts	50	•	•	•	•
19	**19.1**	**Block Resource Center**						
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1				
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	•	•	•	•
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	•	•	•	•
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	•	•	•	•
	19.2	**Cluster Resource Center**						
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	•	•		
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	•	•	•	•
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	•	•	•	•
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	•	•	•	•
20		**Interventions for Out of School Children**						
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	•	•	•	•
21		**Community Mobilisation**						
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	•	•		
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	•	•	•	•
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	•	•	•	•

अध्याय – 13

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2003–04

13.1 परिचय

"सर्व शिक्षा अभियान" शिक्षा की एक दीर्घकालीन परियोजना है। इसमें दी गई राशि का सही ढंग से सदुपयोग हो अच्छी सामग्री कम लागत में उपलब्ध हो सके, इस कार्य के लिए क्रय नियमों का उचित प्रावधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

13.2 सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित राशि का एक बड़ा हिस्सा ग्राम स्तर पर ही खर्च किया जाना है, इसलिए ग्राम स्तर पर सामग्री क्रय के लिए क्रय समिति में शाला प्रबन्ध समिति, अध्यक्ष तथा ग्राम के दो वरिष्ठ नागरिक जो इस संदर्भ में अनुभव रखते हो, उनको सदस्य के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार कुल चार सदस्यों की क्रय समिति हर गांव स्तर पर बनायी जायेगी। यह क्रय समिति शाला प्रबन्ध समिति व भवन निर्माण समिति की उप समिति ही होगी।

* संकुल स्तर पर सामग्री क्रय के लिए संकुल प्रभारी को सदस्य सचिव व सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिस में संकुल केन्द्र स्थित है। सरपंच/पंच को अध्यक्ष के रूप में लेते हुए दो वरिष्ठ व्यक्ति व एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में लेकर कुल पांच सदस्यों की समिति का गठन किया जाकर इसके माध्यम से ही सामग्री का क्रय किया जाना है।
* ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधान एवं सचिव खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय अधिकारी की सदस्यता व एक संदर्भ व्यक्ति व ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता की समिति (कुल पांच सदस्य) द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

जिला स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए जिला क्रय समिति में निम्न सदस्य होंगे –

- जिला परियोजना समन्वयक
- सहायक अभियन्ता, जिला कार्यालय
- सहायक लेखाधिकारी, जिला कार्यालय
- सहायक परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय

उक्त समिति समस्त प्रकार की सामग्री आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदाओं का नियमानुसार निस्तारण कर अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। उक्त सभी समितियां सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करेगी।

– ❖❖❖ –

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.950		0.000	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.840		0.000	7	0.840
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.700		0.000	7	0.700
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.880		0.000	7	5.880
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	19.1	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	7	0.875		0.000	7	0.875
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	7	0.420		0.000	7	0.420
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	7	0.350		0.000	7	0.350
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	36	3.600		0.000	36	3.600
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	36	0.900		0.000	36	0.900
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	36	0.864		0.000	36	0.864
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	36	0.360		0.000	36	0.360
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	6000	50.700		0.000	6000	50.700
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	327	3.270	0	0.000	327	3.270
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reading Room	Panchayat	0.02	264	5.280		0.000	264	5.280
		Grand Total				**1299.122**		**127.604**		**1426.726**
		Total of Civil work				417.350		104.000		521.350
		% of Civil works				32.13		81.50		36.54
		Total of Management				38.562		0.000		38.562
		% of Management				2.97		0.00		2.70

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	49950	422.078		0.000	49950	422.078
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0.000		0.000	0	0.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	20	24.000		0.000	20	24.000
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	40	33.600		0.000	40	33.600
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000	80	96.000	180	216.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7800	7.800		0.000	7800	7.800
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	20	72.000		0.000	20	72.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	80	8.000	180	18.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	5	1.000		0.000	5	1.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000		0.000	40	8.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	3	18.000		0.000	3	18.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	36	72.000		0.000	36	72.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	6	0.750		0.000	6	0.750
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	10	2.500		0.000	10	2.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	603	30.150		0.000	603	30.150
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	327	16.350		0.000	327	16.350
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	96	9.600		0.000	96	9.600
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	96	60.480		0.000	96	60.480
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	96	17.280	0	0.000	96	17.280
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	603	12.060	0	0.000	603	12.060
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	327	6.540	0	0.000	327	6.540
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2343	11.715	0		2343	11.715
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2725	13.625	0	0.000	2725	13.625
12		**Teachers Training**								

Norl	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals Phy	Fresh Proposals Fin	Spillover Phy	Spillover Fin	Total Phy	Total Fin
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2247	31.458	0		2247	31.458
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2725	0.000	1370	19.180	4095	19.180
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	96	2.016	0	0.000	96	2.016
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2616	1.570	0	0.000	2616	1.570
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1469	17.628		0.000	1469	17.628
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	603	8.442	0	0.000	603	8.442
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	327	0.000	316	4.424	643	4.424
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080		0.000	2	4.080
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320		0.000	3	4.320
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600		0.000	1	0.600
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440		0.000	3	1.440
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612		0.000	2	0.612
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

New Delhi-110016
DOC, No